

2023-24

HINDUSTAN CABLES LIMITED



72 nd Annual Report and Accounts.

CONTENTS

Sn	Description	Page nos
1	Board of Directors, Auditor, Bankers	3
2	Notice of Annual General Meeting	4-6
3	Director's Report	7 -11
4	Secretarial Audit Report	12 -17
5	Comments of Comptroller and Auditor General of India	18 -19
6	Company's explanation to the observations of Statutory Auditors	20 -21
7	Auditor's report to the Members of Hindustan Cables Limited	22 -38
8	Last ten years at a glance	39
9	Balance Sheet as at 31.03.2023	40
10	Profit and Loss Account for the year ended on 31.03.2023	41
11	Cash Flow Statement for the year ended on 31.03.2023	42
12	Significant Accounting Policies and notes on Accounts	43-56
13	Location of Offices	57



HINDUSTAN CABLES LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Mohan	: Chairman and Managing Director
Shri Pankaj Kumar	: Director
Shri Arun Kumar Sarkar	: Director
Shri Madan Pal Singh	: Director

STATUTORY AUDITOR

M/s Guha Nandi & CO (CA 0017)
Chartered Accountants
Kolkata

BANKERS

Bank of Baroda
Allahabad Bank

HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(under the Ministry of Heavy Industries)
Website : www.hindcables.net

Corporate Office
167/A, Ajoy Nagar, (5 th Road), Kolkata – 700075

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
167/ए, अजय नगर (5वीं रोड)
कोलकाता 700075



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
167/A, Ajoy Nagar (5th Road)
Kolkata 700075.

CIN – U31300WB1952GOI020560

Email: hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

Website : www.hindcables.net

CORP/SEC/72nd AGM/2023-24/

Date: 16.10.2024

NOTICE OF THE 72nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 72nd Annual General Meeting of Hindustan Cables Limited will be held on **Monday, the 28 th October, 2024** at Hindustan Cables Limited, Registered Office, 167/A, Ajoy Nagar (5 th Road) Kolkata-700075, at **04.00 PM** to transact the following business:

1. To consider and adopt the Report of the Directors for the year ended 31st March, 2024.
2. To consider and adopt the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2024 and Balance Sheet as on that date along with the Reports of the Auditors thereon.
3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration of Auditors for the year 2024-25.

The Meeting may please also be attended through Video Conference Mode.

For Hindustan Cables Limited

Yours faithfully,

(K. Mohan)

Chairman and Managing Director
(Additional Charge)

To
All Members, Directors and Auditors
Hindustan Cables Limited (as per list enclosed)

Notes :

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the company. A blank form of proxy is enclosed, which, if used, should be returned to the Registered Office of the Company duly completed, not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.
2. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company has been closed from 07.09.2024 to 14.09.2024 (both days inclusive).

Form No. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:

Name of the company:

Registered office:

Name of the member (s):

Registered address:

E-mail Id:

Folio No/ Client Id:

DP ID:

I/We, being the member (s) of shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:....., or failing him

2. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:....., or failing him

3. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:.....

As my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Annual general meeting / Extraordinary general meeting of the company, to be held on the day of at a.m./ p.m. at (place) and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below :

Resolution No.

1. To consider and adopt the Report of the Directors for the year ended 31st March, 2024.
2. To consider and adopt the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2024 and Balance Sheet as on that date along with the Reports of the Auditors thereon.
3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration of Auditors for the Year 2024–2025.

Signed this day of 20

Affix
Revenue
Stamp

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(S)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

DIRECTORS' REPORT

TO
THE SHAREHOLDERS
HINDUSTAN CABLES LIMITED

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I have great pleasure in presenting you the 72 nd Annual Report on the working of the Company for the year ended 31st March 2024 along with the Audited Statement of Accounts, Auditors' Report and the Review of the Accounts by the Comptroller & Auditor General of India.

2. PERFORMANCE

The Union Cabinet has given its approval on 28.09.2016, inter alia, for closure of the company as per the provisions of the Companies Act 1956 / 2013, Industrial Disputes Act 1947 etc., offering VRS/VSS to its employees. Accordingly, all the employees were released on 31.01.2017 on payment of compensation sanctioned by the Union Cabinet.

As things stands today, there is no permanent employee on the roll of the company. The appropriate government authority has granted permission for closure of the company u/s. 25(O) of Industrial Disputes Act, 1947.

Currently there is no business activity and HCL is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed. Hindustan Cables Limited is now closed and in a non-operating stage with no plant, machinery, employee or outsourced functionary.

3. FINANCIAL RESULTS

During the year 2023-24, the company has made profit (loss) of Rs. (4.47) crores. Summarized position of the Company's results for the year 2023-24 compared to 2022-23 is given below:

(Rs. In lakhs)

		2023-24	2022-23
(a)	Total revenue	393.58	326.16
(b)	Less: Total expenses	534.14	762.84
(c)	Profit (Loss) before Extra Ordinary item and Tax	(140.54)	(436.68)
(d)	Extra Ordinary items	(3.35)	2014.57
(e)	Provision for Income Tax (relating to earlier years)	(303.38)	(4.06)
(e)	Profit (Loss) for the year	(447.27)	1573.83

4. SHARE CAPITAL

The Authorised Capital of the Company is Rs. 6000 crores. The Subscribed and Paid-up Capital as on 31.3.2024 stood at Rs. 4865.88 crores divided into 4865881125 Equity Shares of Rs.10 each.

5. BORROWINGS

During the year 2023-24, the company has not made any borrowing.

6. CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company's contribution to National Exchequer by way of Income Tax, TDS on contractors and consultancy services, GST, Rates & Taxes etc. aggregates to Rs. 0.71 crore.

7. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

In terms with approval of the Union Cabinet dated 28.09.2016, inter alia, for closure of the company as per the provisions of the Companies Act 1956 / 2013, Industrial Disputes Act 1947 and other relevant Acts, all the regular employees of the company were released on 31.01.2017 on acceptance of their VR applications except 125 ex-employees of HCL, Naini (who were transferred to NAeL, a subsidiary of HAL).

8. STATUS OF LAND HELD

Company holds 947.23 acres of land at Rupnarainpur, District Paschim Bardhaman, West Bengal. The Company has filed a title suit before Asansol Court challenging the gift deed for 8.85 acres of land at Baramuri mouza, Rupnarainpur, in favour of two West Bengal Government educational institutions (ITC and NCP). For a small parcel of 0.39 acres at Baramuri mouza, mutation is under hold by local land revenue office for identification based on verification of ownership records.

In respect of 324 acres 35 guntas of land held by the Company at Hyderabad, Telangana Government claimed title to property and served resumption orders during July, 2018. Company obtained stay(s) from Hyderabad High Court and issues are now sub judice.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors of the Company confirm:

- i. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there has been no material departure.

- ii. That the selected accounting policies were applied consistently and the directors made judgement and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at March 31, 2024 and of the profit of the Company for the year ended on that date.
- iii. That proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- iv. That the annual accounts have not been prepared under historical convention as a going concern, in view of the decision of Union Cabinet to close the company.

10. AUDIT COMMITTEE

The Board of Directors in its 358th Meeting held on 21.03.2022 re-constituted the Audit Committee comprising of Shri Madanpal Singh, as Chairman, Audit Committee, Shri Sunil Kumar Singh, as Member, Audit Committee and Shri K. Mohan, as Member, Audit Committee. The terms of reference of the Audit Committee are to review and discuss with the Auditors periodically about internal controls, the scope of audit and the observations of the auditors, review of financial statements before submission to the Board and any matter referred by the Board.

11. BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Mohan, has been entrusted additional charge of the post of Chairman & Managing Director of the company w.e.f. 01.07.2020 by Department of Heavy Industry, Government of India.

Shri Joseph Atul T Barla, Director, Ministry of Heavy Industries (MHI) was appointed as a Government Nominee Director on the Board of Hindustan Cables Limited with immediate effect vice Smt. Sushma Batra, Deputy Secretary, MHI vide MHI order No.1(15)/2001-PE.II / CPSE-II (e-4246) dated 16.11.2023.

The Board of Directors place on record its appreciation for the services rendered by Smt. Sushma Batra, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industries, as Government Nominee Director on the Board of Hindustan Cables Limited.

Shri Pankaj Kumar, DDG (Training), Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications, was appointed as a Government Director on the Board of Hindustan Cables Limited with immediate effect vice Shri Vivek Narayan, DDG(DS), DoT, Ministry of Communications vide MHI order No.1(15)/2001-PE.II / CPSE-II (e-4246) dated 03.07.2024.

The Board of Directors place on record its appreciation for the services rendered by Shri Vivek Narayan, DDG(DS), Ministry of Communications, as Government Director on the Board of Hindustan Cables Limited.

The Board meets with prior notice and circulation of the agenda papers in advance. The meetings focus on strategy formulation, policy and control, review of the performance and for considering statutorily required matters.

12. AUDITORS

For the year 2023-24, M/s Guha Nandi & Company (CA 0017), Chartered Accountants, was appointed by Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as Statutory Auditor of the Company.

14. AUDIT REVIEW

The comments of the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors' Report to the members and replies of the Management to the observations are annexed.

15. INFORMATION ON SHARES

The share transfers taking place are amongst the nominees of the President of India. The distribution of shareholding as on 31st March, 2024 was as under:

Sn	Category	No. of shares held	% age
1	President of India	4865881125	100.00
	Total	4865881125	100.00

The Company is an unlisted entity having CIN U31300WB1952GOI020560

The last 3 Annual General Meetings were held on 21.12.2021, 28.12.2022 and 22.11.2023 at Kolkata.

16. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors are grateful for the support, guidance and assistance received from the Ministry of Heavy Industries, Ministry of Communication, Ministry of Finance and other Ministries of Government of India and State Governments of West Bengal and Andhra Pradesh. The Directors also convey their thanks for the co-operation and support received from the office of Comptroller and Auditor General of India and the Principal Director of Commercial Audit.

The Directors take this opportunity to express their appreciation for the support, co-operation and contribution from the contractual functionaries associated with the Company in meeting various challenges during the year under review.

For and on behalf of the Board of Directors

(K. Mohan)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

REGISTERED OFFICE
167/A, Ajoy Nagar, (5 th Road)
KOLKATA 700075.

DATED : 21.09.2024

Rajkishore Ram
Practicing Company Secretary

113A, A.J.C Bose Road
5th floor, Room No.5/6
Kolkata-700014, West Bengal
Mob.No.9903880503
E.mail:csrkr@gmail.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the financial year ended on 31st March, 2024

(Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rules 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) rules, 2014, read with the Guidance Note on Secretarial Audit)(Release- 1.2) of the Institute Of Company Secretaries of India)

To

The Members

M/S. Hindustan Cables Limited

1/315, Gariahat Road, Kolkata-700068, West Bengal

1. I have conducted the secretarial Audit of M/s. Hindustan Cables Limited having its Registered office at 167/A, Ajoy Nagar Santoshpur, West Bengal and having CIN: U31300WB1952GOI020560 (hereinafter called 'the Company') for the financial year ended on 31st March, 2024 ("the period under review " herein after). The Aforesaid Secretarial audit has been conducted, pursuant to the provision of section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, read with the Guidance Note on Secretarial Audit) (release 1.2) of Institute of Company Secretaries of India, in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conduct and the process of statutory compliances under various statutes, rules, regulations, guidelines, as indicated here in below in the instant report as such expressing my opinion thereon.
2. On the Basis of verification of the secretarial compliance and on the basis of aforesaid secretarial audit of Company's books, papers minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company, as shown to me, during the said audit and based on the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representative during the conduct of the aforesaid secretarial audit, I hereby report that in my opinion



and to the best of my understanding, the Company has, during the audit, period covering the financial year ended on 31st march, 2024, complied with the statutory provisions with certain exception listed hereunder about the board process and compliance system and in my view the Company has been maintaining adequate board process and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

3. I have examined the secretarial compliance based on the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by M/s. Hindustan Cables Limited for the financial year ended on 31st march, 2024 and as shown to me during my audit, according to the provisions of the following laws:
 - (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
 - (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulation and bye Laws framed There under;
4. To the best of my understanding and on the basis of information and documents produced by the management, the company has changed its status from a listed company to unlisted company in recent previous year and it was informed by the management that the Union Cabinet vide its letter dated 28/09/2016 has already given its approval for the closure/winding up of the company. Further it has been informed by the management that HCL has released all its employees from the company with effect from 31/01/2017 and further the company is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed by the Union Cabinet.
5. Hindustan Cables Limited is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed by the Union Cabinet and Keeping the above information and explanations as provided by the management of the company I am of the view that the Company is no more required to comply the necessary Listing compliances as the company has changed its status to an unlisted company
6. I further report to the best of my understanding that,
 - a) The Board of Directors of the Company is not duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and independent Directors. During the period under review Mrs. SUSHMA BATRA (DIN: 09751794) was resigned from board and JOSEPH ATUL T BARLA (DIN.10122179) was appointed as a nominee Director of the company on dated 16.11.2023.
 - b) Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications

on the agenda items before the meetings and for meaningful participation at the meeting.

- c) Majority decision is carried through and recorded as a part of the minutes.
7. It has been represented to me by the management of the Company that periodic reports on compliance with laws generally applicable to the company are placed before the board at periodic intervals and that there are adequate system and process in the company, commensurate with the size and operations of the company for reporting to the Board of directors of the company and to monitor and ensure compliance with applicable to the area of operation of business and other laws generally applicable to Company.
8. I further State that in respect of compliance with the provisions of Companies Act 2013, during the period under review, I have observations as follows:
- i. That to the best of our understanding, the "Key Managerial personnel" preferably the Company Secretary and/or the Chief financial Officer as required to be appointed by company pursuant of section 203 (1) of the Companies act, 2013, key managerial person(KMP) has been appointed by the company during the period under scrutiny under the provisions of Rule 8 of The Companies "Appointment and Remuneration of Managerial Personnel" Chapter XIII under Section 203 of the Companies Act, 2013. Further as informed by the management the said Key Managerial Personnel has been appointed during the end of the financial year 31.03.2024.
 - ii. That I have not come across any report or minute or any other document regarding evaluation of independent directors, pursuant to section 149 read with schedule IV of the companies' act 2013. It has been represented to me by the management of the Company that the Company is closed and non-functional in terms with approval accorded by the Union Cabinet on 28.09.2016 and that the Ministry of Heavy Industry, generally appoints all the directors of the Board however no such director in the capacity of independent director has been appointed during the period under review.
 - iii. That I have not come across any report or minute or any other document regarding appraisal of performance of Directors since the company has not constituted the Nomination and remuneration Committee during the period under review.
 - iv. That since the company is trying to complete the formalities for liquidation / winding up as directed by the Union Cabinet, the internal Auditor has not been appointed pursuant to the provisions of section 138 of the Companies Act, 2013.

- v. As per the web site of ministry of corporate affairs i.e. www.mca.gov.in the Company has changed its status from a listed entity to non-listed entity. Further as informed by the management there is no floating shares available in the market and the President of India representing Government of India is holding 100% stake in the company as on date..
- vi. As on date the company is Active Compliant.

This report is to be read with my letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.



Rajkishore Ram

Rajkishore Ram
Practicing Company Secretary
Mem. No.:A22447, C.P. No: 16589
UDIN: A022447FC01223141

Place: Kolkata

Date: 15th day of September'2024

Rajkishore Ram
Practicing Company Secretary

113A, A.J.C Bose Road
5th floor, Room No.5/6
Kolkata-700014, West Bengal
Mob.No.9903880503
e.mail:csrkr@gmail.com

'Annexure A'

(To The Secretarial Audit Report of M/S. Hindustan Cables Ltd. for the Financial Year ended 31/03/2024)

To
The Members
M/s. HINDUSTAN CABLES LIMITED
1/315, Gariahat Road, Kolkata-700068, West Bengal

My secretarial Audit Report for the financial year ended 31/03/2024 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion of existence of adequate board process and compliance management system, commensurate to the size of the company, based on these secretarial records as shown to me during the said audit and also based on the information furnished to me by the officers and agents of the company during the said audit.
2. I have followed the audit practices and process as were appropriate, to the best of my understanding, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to check as to whether correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed, provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness, appropriateness and bases of financial records, books of accounts and decisions taken by the board and by various committees of the Company, during the period under review. I have checked the board process and compliance management system to understand and to form an opinion as to whether there is an adequate system of seeking approval of respective committees of the board, of the members of the company and of other authorities, as per provisions of Companies Act 2013 and of various statutes as referred in the aforesaid audit report.



4. Where ever required I have obtained the management representation about the compliances of Laws, rules and regulations and happening of events and gathering of facts etc. However it is understood from the management that the company has become sick industrial company within the meaning of clause "O" of subsection (1) of section (3) of SICA, 1985 and the company was registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) in the year 2002 vide case no. 505/2002 and the Union Cabinet in it's meeting held on 28.09.2016 has, inter-alia, accorded its approval for closure of the company. Further as informed by the Management there is no floating share available in the market and the President of India representing Government of India is holding 100% stake in the company as on date.
5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules regulations, standard, is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of compliance procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficiency or effectiveness or accuracy with which the management has conducted the affairs of the Company.



Rajkishore Ram

Rajkishore Ram

Practicing Company Secretary

ACS No. 22447, CP.No.16589

Place: Kolkata

Date: 14th day of Sept' 2024



सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान) का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001
1, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA-700 001

दिनांक / Dated... 16 OCT 2024

सेवा में
The Chairman and Managing Director,
Hindustan Cables Limited,
167/A, Ajoy Nagar (5th Road)
Kolkata 700075

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Hindustan Cables Limited के वर्ष 2023-24 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2023-24 के लिए Hindustan Cables Limited की लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र को पावती भेजे।

अनु: यथोपरि।

भवदीय,
अनिंद्य दासगुप्ता
(अनिंद्य दासगुप्ता)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN CABLES LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Hindustan Cables Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 August 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Hindustan Cables Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata

Date: 16 OCT 2024



(Anindya Dasgupta)
Principal Director of Audit (Mines)
Kolkata

HINDUSTAN CABLES LIMITED (HCL)
COMPANY'S EXPLANATION TO THE OBSERVATION OF STATUTORY AUDITOR

Sn	STATUTORY AUDITOR'S COMMENTS	MANAGEMENT'S REPLY (DRAFT)
1	In view of the approval of the Union Cabinet dated 28 th September, 2016 for closure of the Company , the financial statements have been prepared following liquidation basis of accounting according to which the assets of the Company under Property Plant and Equipment need to be shown at lower of carrying amount and respective realisable value. There are certain assets other than land and buildings that are carried at cost less depreciation, the financial impact of which, if any, due to lower realisable value is not ascertainable.	<p>All immovable assets which have about 97% of cost in PPE have been revalued excepting some movable assets viz. Furnitures/ fixtures and computers which are presently in use. Furniture & fixtures have reached almost 5% value .</p> <p>While the Computers have already reached 5% value long before and these are still workable. In our opinion the financial impact for non revaluation of Furniture / fixture and computer is negligible.</p>
2	Assets under Property Plant and Equipment Rs 285,69,789.43 hundred continue to be shown as Non-Current Assets in the Balance Sheet, implying that the Company expects to realise the assets beyond twelve months after the reporting period. However, following the closure order, the assets of the Company are effectively held for sale and accordingly, the assets that are available for immediate sale in their present condition should be identified and disclosed under Current Assets in the Balance sheet. In the absence of such an exercise, the value of assets that need to be disclosed under Current Assets is not identifiable.	None of the PPE is likely to be disposed of within a period of 12 months and therefore they were shown as non-current assets
3	As mentioned in Note 6 to these financial statements, the Government of Andhra Pradesh has issued a resumption notices for returning the land at Hyderabad. The Company has contested the said order in the court of law and continues to retain possession of the said land. In view of the resumption orders, the Company has not recognized liability for Property tax for the said land since August 2018 excepting for an amount of Rs 28,36,759/-. The remaining liability accrued till 31 st March, 2024 based on tax demands shown in the related tax portal of Government of Andhra Pradesh amounting to Rs 4,08,578 hundred has not been recognized in the books as payable, instead has shown the same under contingent liability .	Since the land in question was acquired by the State Government and was given to the Company at free of cost and the same has now been resumed by the State Government, the Company probably will not require any outflow of resource towards property tax after resumption order is issued.

4	<p>As mentioned in Note 6 to these financial statements, in current period, the Company has sold its Golf Link flats at book value of those assets as per direction of Ministry of Heavy Industry (MHI), Government of India. While in view of the provisions of Section 45 (5) of the Income Tax Act 1962, it is unlikely that the Company will have a capital gain tax liability based on the fair market value of the assets so disposed of, possibility of a different view being taken by the authority cannot be ruled out, though contestable in the light of the said direction.</p>	<p>The Company sold the flats in question to a sister CPSE (NLMC) in terms with order issued by Government of India. No stamp duty was paid by NLMC for registration of purchase as both are CPSE and HCL is under closure as per the approval of the Union Cabinet.</p> <p>Since the actual sales transaction has taken place at book value between two CPSEs fully owned by Gol as per direction of Government of India, there is no possibility for Capital gain.</p>
5	<p>In respect the contingent liabilities as set out in Note 17, a brief description of each class of contingent liabilities and the extent of uncertainties of each liability have not been adequately stated as required by the Accounting Standard 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.</p>	<p>Brief type of each contingent liability has been disclosed. It has been stated in the note that in none of the cases, cash outflow is envisaged and there is no chance of reimbursement.</p> <p>There are several court cases against which contingent liability has been created. Brief description of nature of those contingent liabilities are available and shown to auditor for all the case. However, it is not practicable to disclose case wise details in the accounts as these will be voluminous.</p>
6	<p>GST credit amounting to Rs 118841.61 hundred shown under Other Current Assets (Note 12A) has been fully provided for by the management and the related provision has been disclosed separately under Short Term Provisions (Note 8) instead of showing the provision by way of deduction from the said other current asset.</p>	<p>Provision of GST input tax credit has been created as per direction given by C& AG and undertaking given by the Company to C &AG during the last year.</p> <p>To make the provision visible to C&AG and to make it identifiable in the top page for financial controlling purpose, it has been kept at note no. 8</p>
7	<p>Also, income tax paid Rs.1,228,050.19 hundred (including income tax deducted at source) has been shown under Short Term Loans and Advance (Note 11) and the corresponding liability to the extent of Rs.1,175,336.84 hundred has been shown under Short Term Provision (Note 8) instead of showing the liability amount by way of deduction from the said short term loan and advance.</p>	<p>After completion of I Tax assessment of AY2019-20, The Capital Gain of Rs 1175336.84 hundred will be adjusted. The sum remaining in I Tax advance will be adjusted after completion of assessment.</p> <p>To keep the figure traceable and visible and for easy identification for financial controlling purpose it has been shown at Top sheet .</p>

INDEPENDENT AUDIT REPORT

TO THE MEMBERS OF HINDUSTAN CABLES LIMITED

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements for the financial year 2023-24.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **HINDUSTAN CABLES LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at **31st March, 2024**, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information by way of notes to the financial statements.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 and the accounting principles generally accepted in India relating to the liquidation basis of accounting, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2024**, the loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

We draw attention to following matter:

1. In view of the approval of the Union Cabinet dated 28th September 2016 for closure of the Company, the financial statements have been prepared following the liquidation basis of accounting according to which the assets of the Company under Property Plant and Equipment need to be shown at lower of carrying amount and respective realisable value. There are certain assets (other than land and buildings) that are carried at cost less depreciation, the financial impact of which, if any, due to lower realisable value is not ascertainable.
2. Assets under Property Plant and Equipment Rs 285,69,789.43 hundred continue to be shown as Non-Current Assets in the Balance Sheet, implying that the Company expects to realise the assets beyond twelve months after the reporting period. However, following the closure order, the assets of the Company are effectively held for sale and accordingly, the assets that are available for immediate



sale in their present condition should be identified and disclosed under Current Assets in the Balance sheet. In the absence of such an exercise, the value of assets that need to be disclosed under Current Assets is not identifiable.

3. As mentioned in Note 6 to these financial statements, the Government of Telengana has issued resumption orders for returning the land at Hyderabad. The Company has contested the said orders in the court of law and continues to retain possession of the said land.

In view of the resumption orders, the Company has not recognized liability for Property tax for the said land since August 2018 excepting for an amount of Rs 28,367.59 hundred. The remaining liability accrued till 31st March, 2024 based on tax demands shown in the related tax portal of Government of Telengana amounting to Rs 4,08,578 hundred has not been recognized in the books as payable, instead the Company has shown the same under contingent liability.

4. As mentioned in Note 6 to these financial statements, in current period, the Company has sold its Golf Link flats at book value as per direction of Ministry of Heavy Industries, Government of India. While in view of the provisions of Section 45 (5) of the Income Tax Act, 1962, it is unlikely that the Company will have a capital gain tax liability based on the fair market value of the assets so disposed of, the possibility of a different view being taken by the authority cannot be ruled out, though contestable in the light of the said direction.

5. In respect the contingent liabilities as set out in Note 17, a brief description of each class of contingent liability and the extent of uncertainties of each liability have not been adequately stated as required by the Accounting Standard 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

6. GST credit amounting to Rs 1,18,841.61 hundred shown under Other Current Assets (Note 12A) has been fully provided for by the management and the related provision has been disclosed separately under Short Term Provisions (Note 8) instead of showing the provision by way of deduction from the said Other Current Asset.

7. Also, income tax paid Rs 1,228,050.19 hundred (including income tax deducted at source) has been shown under Short Term Loans and Advance (Note 11) and the corresponding liability to the extent of Rs 1,175,336.84 hundred has been shown under Short Term Provision (Note 8) instead of showing the liability amount by way of deduction from the said Short Term Loan and Advance.

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of

Statutory Audit Report for the year ended 31st March, 2024 of HINDUSTAN CABLES LIMITED

Page 2 of 17



Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

1. We draw attention to Note 1 wherein it has been stated that following the approval of the Union Cabinet dated 28th September, 2016 for closure of the Company, the financial statements have been prepared following liquidation basis of accounting. Currently there is no business activity and the Company is trying to complete the formalities for liquidation/winding up as directed.

2. The Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Government of India issued an office memorandum F.No.DPE/11/(09)-2022-DD dated 23rd August, 2022 to Ministry of Heavy Industries, Government of India for transfer of all non-core assets of the Company to National Land Monetisation Commission (NLMC) at book value. The Ministry of Heavy Industries, Government of India, in its office memorandum number 9-01(1)/2020-PE-II(e/21334) dated 15th February, 2023, in the context of disposal of some assets, also conveyed the said directives contained in the office memorandum issued by the Ministry of Finance.

Subsequent to the aforesaid office memorandums, the Company carried out a revaluation of Land and Residential buildings at Rupnarayanpur on 31st March 2023 (Refer Note 6) and the same are carried in books at such revalued amounts as on 31st March 2024 which may not be construed to be the book value for the purpose of aforesaid office memorandums as the same had been issued prior to the date of such revaluation. Accordingly, the balance in revaluation increase as on 31st March 2024 (net of depreciation) Rs 280,41,387.12 hundred may have to be reversed in case the revalued amount is not recognized to be the book value within the meaning of the aforesaid office memorandums.

3. As mentioned in Note 12A to these financial statements, an aggregate amount of Rs 10, 67,590.00 hundred has been deposited with authorities following court orders in the matter of disputed claims of certain creditors currently under adjudication (refer Notes 26 and 27). No liability has been recognized against the said deposits as the management considers the deposits due for refund in course of time against favourable court judgments.

4. We draw attention to Note 23 wherein an amount of Rs 1,53,92,086.24 hundred has been shown as share application money pending allotment of shares to Government of India based on the



reconciliation provided in the said Note. Issue of shares against the said share application money has been pending since the financial year 2016-17, the impact of which if any has not been ascertained.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statement

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. In the present case, liquidation basis of accounting has been followed for reasons set out in Note 1 to these financial statements.

Statutory Audit Report for the year ended 31st March, 2024 of HINDUSTAN CABLES LIMITED

Page 4 of 17



The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls. – Details in Annexure - 'A'
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. The Company has prepared these financial statements following liquidation basis of accounting as stated in Note 1 to these financial statements.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) Except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* in the paragraph above read with Emphasis of Matter paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d) Except for the effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* in the paragraph above read with Emphasis of Matter paragraph above, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
- e) On the basis of the written representations received from the Company, none of the directors is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting except as stated in said separate report.
- g) We have complied with the directions given by the Comptroller and Auditor-General of India u/s 143(5) of the Act while conducting the audit, and on the basis of information and explanations given to us in this

Statutory Audit Report for the year ended 31st March, 2024 of HINDUSTAN CABLES LIMITED

Page 6 of 17



regard by the Company, given in "Annexure C" to this report, a statement on the matters specified in such directions;

- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as stated in Note No. 17 to the financial statements.
 - ii The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii There are no amounts to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv The management has represented that to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested by the Company to or in any other entity or person including foreign entities, with the understanding, whether recorded in writing or not, that the intermediary shall, whether directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities, identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (the ultimate beneficiaries), or provide any guarantee or security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries.
 - v. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person or entity, including foreign entities, with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the funding party ("ultimate beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries.
 - vi. Nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under clause (iv) and (v) above contain any material misstatement.
 - vii. No dividend was declared or paid by the Company during the year and accordingly compliance of the provisions of Section 123 of Companies Act, 2013 was not applicable for the year.
 - viii. The Company uses an accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.



2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure B" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

UDIN : 24053569BKMGDF9099

Place : Kolkata

Date : 19.08.2024



For Guha, Nandi & Co.

Chartered Accountants

FRN: 302039E

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syamsundar Roy".

(SYAMSUNDAR ROY)

Partner

M. No. 053569

Annexure – ‘A’ The Auditors’ Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Hindustan Cables Limited (“the Company”) as of 31 March 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.



We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion on adequacy (and therefore operating effectiveness) of Internal Financial Controls over Financial Reporting

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2024:

- a) Inadequacy in internal control was noted in recognition of expenses in proper periods leading to certain expenses being disclosed in current year as those related to prior periods [Please refer Note 15 (C) to these financial statements].
- b) Scope for improvement was noted in the matter of review of disputed liabilities as set out in Note 17 to these financial statements for identifying extent of uncertainties in respect of each such liability and possibility of outflow of resources, if any, in respect of any of such liabilities including disclosures in compliance with AS 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Statutory Audit Report for the year ended 31st March, 2024 of HINDUSTAN CABLES LIMITED

Page 10 of 17



- c) As stated in Para 2 under Emphasis of Matter, the Company's Land and Residential Buildings at Rupnarayanpur are carried at revalued amount which may not represent the realisable value of the assets for reasons stated therein.
- d) The Company's operations being suspended for over fifteen years and all employees retiring from the Company, there is no formal internal control system in place.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2024.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024 financial statements of the Company and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Company except for item stated in (b) above.

UDIN : 24053569BKMGDF9099
Place : Kolkata
Date : 19.08.2024



For Guha, Nandi & Co.

Chartered Accountants

FRN: 302039E


(SYAMSUNDAR ROY)
Partner
M. No. 053569

Annexure 'B' referred to in the Independent Auditors' Report to the Members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31 March 2024.

We report that:

- (i) (a) The Company has not maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets (Property Plant and Equipment);
(b) The Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year. However, discrepancies, if any, could not be ascertained in the absence of proper records of fixed assets as mentioned above.
(c) As per information and explanations given to us by the management, the title deeds of the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) are held in the name of the Company.
(d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year.
(e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company is not holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and rules made thereunder.
- (ii) The Company has no inventories during the year under audit, hence paragraph 3(ii) of the Order is not applicable to the Company.
- (iii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. Consequently, the provisions of paragraph 3(iii) of the Order are not applicable to the Company and hence, not commented upon.
- (iv) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the Company has not made any investment, advanced any loan, given any guarantee or provided any securities to others and hence paragraph 3(iv) of the Order is not applicable to the Company.
- (v) The Company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits and hence paragraph 3(v) of the Order is not applicable to the Company.



(vi) The Company's manufacturing activity is stopped since long and the Government of India has given its consent for the closure of the Company, hence no cost records are being maintained.

(vii) a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added Tax, Employee's State Insurance, Custom Duty, Excise Duty, cess or other material statutory dues have been generally regularly deposited during the period by the Company with appropriate authorities.

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there were no undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Value Added Tax, or other material statutory dues which were in arrears as at 31st March, 2024 for a period of more than six months from the date they become payable

b) According to the information and explanations given to us, the following dues have not been deposited by the Company on account of dispute as at 31st March 2024:

Sl No.	Statute	Nature of Dues	Forum	Amount (Rs in hundred)	Year
1	The Income Tax Act, 1961	Income tax Additional demand based on TDS	CIT (Appeals)	12,000	2013-14
2	The Income Tax Act, 1961	Income tax Additional demand on account of non-consideration of brought forward business loss	CIT (Appeals)	161.49.000	2017-18
3	The Income Tax Act, 1961	Income tax Additional demand for same income considered twice	CIT (Appeals)	99,33,000	2020-21
4	Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952	Levy of Damages u/s 14B and Interest u/s 7Q	EPFO Allahabad	13,500	Apr 2013 to Jan 2017



5	The Greater Hyderabad Municipal Corporation Act, 1955	Property tax in respect of Hyderabad land payable to Government of Telengana		4,36,947.59	2018-19
---	---	--	--	-------------	---------

Further, as represented by the management the following disputed liabilities are lying unpaid in respect of excise duty. Details of the nature of dues and related amounts could not be verified. The amounts mentioned below are as per last year's audited accounts:

Sl No.	Statue	Nature of Dues	Forum	Amount (Rs in hundred)	Year
1	The Central Excise Act, 1944	Excise Duty	Hon'ble Supreme Court of India	1,14,440	1981
2	The Central Excise Act, 1944	Excise Duty	Commissionerate of Bolpur	80,970	1988-89 1991-92 1992-93
3	The Central Excise Act, 1944	Excise Duty	Asst. Commissionerate of Asansol	38,320	1986-87 1990-91 2000-01 2001-02
4	The Central Excise Act, 1944	Excise Duty	Asst. Commissionerate of Durgapur	1,190	1995-96

- (viii) There are no transactions which have not been recorded in the books of account but disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- (ix) The Company did not have any loans or borrowings from any banks, financial institution, other lenders, or has taken any funds from any entity or person during the year. Hence paragraph 3(ix) of the Order is not applicable.
- (x) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) , or made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Hence paragraph 3(x) of the Order is not applicable.



- (xi) Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the Company.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company and hence paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) There were no transaction with any party within the meaning of Section 177 and Section 188 of the Companies Act, 2013:
- (xiv) The Company has not engaged any internal auditor for the financial year .
- (xv) According to information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them and hence paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, in our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi) (a), (b), (c) and (d) of the Order is not applicable.
- (xvii) The Company has incurred cash loss of Rs 3,16,013. 26 hundred in the financial year. The Company did not incur cash loss in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- (xix) As stated in Note 1 to these financial statements, the Union Cabinet in its meeting held on 28th September 2016 has approved closure of the Company and the Company is currently under winding up procedures. Accordingly, clause (xix) of the Order which is applicable for an operating company, is not applicable to the Company under its current condition.
- (xx) The Company does not have Corporate Social Responsibility (CSR) obligation under Section 135 of the Act and accordingly Clause (xx) of the Order is not applicable.



Statutory Audit Report for the year ended 31st March, 2024 of HINDUSTAN CABLES LIMITED

Page 15 of 17

(xxi) Hindustan Cable Ltd. is a standalone company and the Company does not have any subsidiary company. Hence clause (xxi) of the Order is not applicable to the Company.

UDIN : 24053569BKMGGDF9099

Place : Kolkata


Date : 19.08.2024



For Guha, Nandi & Co.

Chartered Accountants

FRN: 302039E


(SYAMSUNDAR ROY)

Partner

M. No. 053569

Statutory Audit Report for the year ended 31st March, 2024 of HINDUSTAN CABLES LIMITED

Page 16 of 17

ANNEXURE 'C' TO THE AUDITOR'S REPORT

Report on the Directions by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2023-24.

1. Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implication of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.

Yes, all the accounting transactions are accounted for through Tally accounting software. However, as explained to us, there are operations/transactions which take place outside the system having a bearing on the accounts of the Company which have been duly considered.

As per past practice, all transactions are manually entered in the software which maintains regular books of account.

As per existing practice, there are chances of some transactions being missed to be accounted as the flow of accounting transactions are not automated at the point of generation of transaction. The financial implications of transactions outside the IT system, if any, are unascertainable.

2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.


There has not been restructuring of any loan and interest thereon during the current financial year with consequent waiver or write back involved therein.

3. Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

As explained, the Company did not receive any fund from Central/ State agencies on any account during the year.

UDIN : 24053569BKMGGDF9099
Place : Kolkata
Date : 19.08.2024



For Guha, Nandi & Co.
Chartered Accountants
FRN: 302039E

(SYAMSUNDAR ROY)
Partner
M. No. 053569

LAST TEN YEARS AT A GLANCE

(Rs. in lakhs)

S. no.	Particulars	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	Turnover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Net Profit	(447.28)	1573.83	8838.84	26956.07	1388.60	5185.59	70616.45	234846.15	(99411.81)	(93299.45)
3	Gross Block	30638.61	2563.71	2563.71	2563.71	2563.71	2596.95	5321.38	45742.21	47425.26	47429.81
4	Depreciation Provision	2068.82	1977.55	1948.02	1917.47	1886.47	1883.87	4362.36	42925.09	44151.43	43676.65
5	Net Block	*28569.79	*28740.94	615.68	646.23	677.24	712.08	959.02	2817.12	3273.83	3753.16
6	Net Current Assets - working capital	4384.55	6745.22	5141.00	(1311.57)	(33042.20)	(32179.21)	(37611.74)	(93417.65)	(115791.95)	(105487.63)
7	Capital Employed	32954.34	35486.16	5756.69	(665.33)	(30078.52)	(31467.13)	(36652.72)	(90600.53)	(112518.12)	(100724)
8	Secured Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	353788.27	306571.83
9	Unsecured Loan	0	0	0	0	0	0	0	1487.87	328531.76	287022.72
10	Share Capital	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	41936.11	41936.11	41936.11
11	Reserve and Surplus	**33715.37	**33869.92	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674
12	Accumulated Loss	(500811.24)	(500363.96)	(501937.79)	(510776.63)	(537732.71)	(539121.32)	(544306.91)	(614923.37)	(849769.52)	(750372.31)
13	Net Worth	(8550.96)	(8101.85)	(9675.68)	(18514.52)	(45470.60)	(46859.21)	(52044.81)	(91756.77)	(802159.41)	(702762.31)
14	No. of employees	0	0	0	0	0	0	0	0	1333	1533

*Note :

Value of net block of assets (2022-23) and (2023-24) adjusted due to revaluation and sale of assets

**Note :

Reserve and Surplus (2022-23) and (2023-24) includes revaluation reserve.

CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER						
S. no.	Heads	(Rs in crores)				
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1	Sales Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Central Excise Duty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Customs Duty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Income Tax on Salary & Wages (including TDS on contractors and consultancy services and Capital Gain Tax on sale of Assets)	0.16	11.92	0.11	0.10	0.25
5	Rates and Taxes	0.35	0.00	0.37	0.38	0.38
6	Licence Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	GST including GST TDS	0.20	0.27	0.07	0.07	0.21
	Total	0.71	12.19	0.55	0.55	0.84

HINDUSTHAN CABLES LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

A.	EQUITY AND LIABILITIES	Note no.	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
			(Rs in Hundreds)	(Rs in Hundreds)
	1. SHAREHOLDERS' FUNDS			
	a) Share Capital	2	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
	b) Reserve & Surplus	3	-46,70,95,858.96	-46,64,94,035.86
			1,94,92,253.54	2,00,94,076.64
	2. SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	23	1,53,92,086.24	1,53,92,086.24
	3. NON-CURRENT LIABILITIES			
	(a) Long-Term Borrowings	4	-	-
	4. CURRENT LIABILITIES			
	(a) Short-Term Borrowings			
	(b) Trade Payables			
	(i) Total Outstanding Dues Of Micro Enterprises And Small Enterprises (MSME)	5	22,748.98	22,748.98
	(ii) Total Outstanding Dues Of Creditors Other Than MSME		1,500.00	1,500.00
	(c) Other Current Liabilities	7	3,08,365.56	2,35,195.55
	(d) Short Term Provisions	8	17,01,863.89	12,79,640.67
			20,34,478.43	15,39,085.20
	TOTAL		3,69,18,818.21	3,70,25,248.08
B.	ASSETS			
	1. NON CURRENT ASSETS			
	(a) Property Plant and Equipment	6	2,85,69,789.43	2,87,40,943.65
	(b) Non Current Financial Assets	12B	19,30,000.00	19,30,000.00
			3,04,99,789.43	2,87,40,943.65
	2. CURRENT ASSETS			
	(a) Trade Receivables	9	NIL	NIL
	(b) Cash and Cash Equivalents	10	39,98,903.08	42,99,390.43
	(c) Short Term Loans and Advances	11	12,29,893.93	12,44,127.46
	(d) Other Current Assets	12A	11,90,231.77	8,10,786.54
			64,19,028.78	82,84,304.43
	TOTAL:		3,69,18,818.21	3,70,25,248.08
	Significant Accounting Policies	1		
	The accompanying notes are an integral part of the financial statements			

In terms of our report of even date.

For Guha, Nandi & Co,
Chartered Accountants
FRN: 302039E

(SYAMSUNDAR ROY)

Partner

(M.No : 053569)

UDIN : 24053569BKMGGDF9099

Place: Kolkata

Date:19.08.2024



(K Mohan)
Chairman and Managing Director
DIN - 08385809

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED

(Amal Kumar Bose)
Adviser



Registered Office
167/A, Ajaynagar, 5th Road
Kolkata-700075

CIN NO. U31300WB1952GO1020560

HINDUSTHAN CABLES LIMITED

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

	Note no.	For the year ended	For the year ended
		31st March, 2024	31st March, 2023
		(Rs in Hundreds)	(Rs in Hundreds)
I INCOME			
Sales (Inclusive of GST)		NIL	NIL
Other Income	13	3,93,582.83	3,26,160.97
Total Revenue		3,93,582.83	3,26,160.97
II EXPENSES			
Employees Benefits Expense	14	-	-
Other Expenses	15	5,21,701.38	7,33,310.56
Depreciation	6	12,424.97	29,528.94
Total Expenses		5,34,126.35	7,62,839.50
III Profit/(Loss) before Extra-Ordinary Item and Tax		-1,40,543.52	-4,36,678.53
Extra Ordinary Items	16&24	-3,352.71	20,14,574.96
Provision for Income Tax (relating to earlier years)		-3,03,382.61	-4,062.24
IV Profit/(Loss) for the year after tax		-4,47,278.84	15,73,834.18
Earning Per Share - Basic and Diluted (Rs)	31	(0.01)	0.03
Significant Accounting Policies	1		
The accompanying notes are an integral part of the financial statements			

In terms of our report of even date.

For Guha, Nandi & Co,
Chartered Accountants
FRN: 302039E

(SYAMSUNDAR ROY)

Partner

(M.No : 053569)

UDIN : 24053569BKMGDF9099

Place: Kolkata

Date:19.08.2024



(K Mohan)
Chairman and Managing Director
DIN - 08385809

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTHAN CABLES LIMITED

(Amal Kumar Bose)
Adviser



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

	For the year ended	For the year ended
	31st March, 2024	31st March, 2023
	(Rs in Hundreds)	(Rs in Hundreds)
1 Cash flow from operating Activities		
Net profit/loss (-) before taxation and extra-ordinary items	-4,47,278.84	15,73,834.18
Add/(less) Adjustments for :		
Depreciation	12,424.97	29,528.94
Liabilities written back		-36,796.85
Assets Written Off	-3,352.71	3,095.07
Interest Income	-3,93,582.83	-3,24,500.52
Profit on Sale of Fixed assets		-19,80,873.17
Operating Cash flow before Working Capital Change	-8,31,789.41	-7,35,812.37
Adjustments for :-		
Decrease/(Increase) in Trade Receivables	0.00	0.00
Decrease/(Increase) in Loans & Advances	14,233.53	-18,01,664.92
Decrease/(Increase) in Other Current Assets	-3,79,445.23	1,13,335.99
Increase/(Decrease) in Short-Term Borrowings	0.00	-40,296.85
Increase/(Decrease) in Trade payables	0.00	125.00
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	73,170.01	14,041.98
Increase/(Decrease) in Provisions	4,22,223.22	2,99,541.90
Increase/Decrease In Non Current Financial Assets		-19,30,000.00
Operating Cash flow After Working Capital Change	-7,01,607.88	-40,80,729.27
Net Cash from Operating Activities	A -7,01,607.88	A -40,80,729.27
2 Cash flow from Investing Activities		
Purchase of Fixed Assets	-393.00	
Fixed Assets sold/discarded	4,568.00	
Assets written off	3,352.71	
Interest received	3,93,582.83	3,24,600.52
Sale of Fixed assets		13,020.00
Net Cash from Investing Activities	B 4,01,120.54	B 3,37,620.52
3 Cash flow from Financing Activities		
Advance Received	0.00	0.00
Share Application Money Refunded	0.00	0.00
Loan Bank Repaid	0.00	0.00
Net Cash from Financing Activities	C 0.00	C 0.00
Net Increase / Decrease (-) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	-3,00,487.35	-37,43,108.75
Cash & Cash Equivalents (Opening)	42,99,390.43	80,42,499.18
Cash & Cash Equivalents (Closing)	39,98,903.08	42,99,390.43
(Represented by Cash & Cash Equivalents as item indicated in Note 10)		

In terms of our report of even date.

For Guha, Nandi & Co,
Chartered Accountants
FRN: 302039E

(SYAMSUNBAR ROY)

Partner

(M.No : 053569)

UDIN : 24053569BKMGGDF9099

Place: Kolkata

Date:19.08.2024



(K Mohan)
Chairman and Managing
DIN - 08385809

(Amal Kumar Bosc)
Adviser

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED



NOTE 1.- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a) SYSTEM OF ACCOUNTING


These financial statements have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principal in India under the historical cost convention on accrual basis. The Company has not compiled its accounts on the basis of going concern concept. IND AS is not applicable as the Company is not listed and net worth is below Rs. 200 Crores. The Company has adopted liquidation basis of accounting for preparation of its financial statements. The Union Cabinet in its meeting held on 28.09.2016, inter alia, approved closure of HCL, offering VRS/VSS to all its employees and disposal of all assets. Accordingly, all the employees were released on 31.01.2017 after payment of compensation sanctioned by the Union Cabinet and plant and machinery have been disposed of in consonance with approval of the Union Cabinet. The appropriate Government authority has granted permission on 31.05.2017 for closure of the Company U/S 25 (O) of the Industrial Disputes Act, 1947. Currently there is no business activity and HCL is trying to complete the formalities for liquidation/winding up as directed. HCL is now closed and in a non-operating stage with no plant, machinery or employees. The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021. As per the condition of the approval for closure taken by the Union Cabinet on 28.09.2016, conveyed by DHI vide letter F. no. 1(13)/2003-PE-II (Vol. X) dated 06.10.2016, the closure is to be implemented as per extant guidelines for closure of CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE). On 28.09.2016, DPE guidelines vide OM no. DPE /5(1)/2014-Fin (part) dated 07.09.2016 was in vogue for closure of sick/loss making CPSEs and the same is applicable for the Company. As per point 14 and 15 of the said guidelines dated 07.09.2016, proceeds from sale of assets after making payment of all liabilities are required to be deposited in the consolidated fund of India and subsequently the Company is required to make application for removal of its name from Register of Companies u/s 248 of the Companies Act 2013.

b) PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT (PPE)

Cost of PPE, with the exception of land given by the Government of West Bengal and Andhra Pradesh free of cost, comprises its purchase price, cost of bringing the assets in its working condition for its intended use and financing cost relating to deferred credit/borrowed fund attributable to construction/acquisition for the period till it is available for use. A portion of the land used by the Company for erection of factory at Rupnarainpur was given free of cost by Government of West Bengal in 1952-53 which was initially valued at a nominal price of Rs. 1530.00 (Rs. In Hundreds).

Similarly, land given by Andhra Pradesh Government free of cost for construction of factory at Hyderabad was valued at a nominal price of Rs. 300.00 (Rs. In Hundreds).

Uky.



The valuation of these lands have been accounted for with the appropriate credit in Capital Reserve Account.

At the end of the year 2022-23, land and buildings at Rupnarainpur /Guest House at Kolkata were revalued with appropriate credit to revaluation reserve account.

c) **REVALUATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

For implementation of liquidation basis of accounting, assets are required to be stated at carrying amount. Accordingly, assets are stated at carrying amount, where ever applicable. 'Revaluation Reserve' was created in the last year to give effect of the revaluation.

d) **DEPRECIATION**

Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method based on useful life specified in Schedule II of the Companies Act, 2013 after retaining residual value of 5% of the original cost of the assets. Depreciation charged on factory office building and administration building @ 3.17%, building residential and non-residential buildings @1.58% and on furniture and fittings @6.33%. Depreciation is provided on pro-rata basis for Addition/Deletion of assets during the year.

Depreciation is also charged on revalued assets from the date of revaluation.

Depreciation on revalued assets is adjusted with Revaluation Reserve.

e) **LIABILITY**

All known and ascertained liabilities, except of immaterial in nature, as on the date of balance sheet are taken into account on accrual basis.

f) **PRIOR PERIOD ITEMS**

Prior period items are income or expenses which arise in the current period as a result of errors or commissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods and accounted for accordingly.

g) **BASIS OF PREPARATION**

The assets and liabilities that are expected to be realized/paid within 12 months from the end of the accounting year have been classified as Current. All other assets and liabilities have been classified as Non-current.

h) **CONTINGENT LIABILITY**

The Company has ongoing litigations with various regulatory authorities and third parties which are regularly reviewed by the management. If there is a present obligation that probably requires outflow of resources and a reliable estimate of the obligation can be made on

Handwritten signature



managements assessment of specific circumstance of each dispute and relevant external advice as deemed necessary management makes provision at its best estimate. In other cases the amounts are disclosed as contingent liability.

i) **USES OF ESTIMATES**

The presentation of financial statement in conformity with the India GAAP requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known/materialized.



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024			Rs. In Hundreds	Rs. In Hundreds
			As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
2	SHARE CAPITAL			
	Authorised :			
	6,00,00,00,000 Equity Shares @ Rs 10/- each (Previous year 6,00,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each)		60,00,00,000.00	60,00,00,000.00
	Issued, Subscribed and Paid-up :			
	4,86,58,81,125 Equity Shares of Rs 10 each fully paid-up (Previous year 4,86,58,81,125 Equity Shares of Rs 10 each)		48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
	a) Equity Shares			
	Balance at the beginning of the year		48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
	Add: Allotted during the year		0.00	
	Balance at the end of the year		48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
	b) Details of Shareholders holding of Promoters in the Shares held by promoters at the end of the year Equity Shares of Rs 10/- each fully paid			
				% Change during the
				% of Holding Year
	Name of the Promoter			
	President of India	4,86,58,81,125	100%	4,86,58,81,125 100%
	No calls are unpaid by any Director of the Company during the year.			
3	RESERVE & SURPLUS			
	Capital Reserve		1,830.00	1,830.00
	(Represents the credit for land acquired free of cost from Govt. of AP & WB).			
	A		1,830.00	1,830.00
	GENERAL RESERVE			
	Opening Balance		56,72,163.18	56,72,163.18
	Add: Debenture Redemption Reserve			
	Transferred from Capital Reserve			
	Add: Bond Redemption Reserve Transferred from Capital Reserve			
	Closing Balance	B	56,72,163.18	56,72,163.18
	REVALUATION RESERVE (refer note 37)	C	2,80,41,387.31	2,81,95,931.47
	SURPLUS/ (DEFICIT)			
	Opening Balance		-50,03,63,960.51	-50,19,37,794.70
	Add: Net Profit for the year		-4,47,278.84	15,73,834.18
	Closing Balance	D	-50,08,11,239.35	-50,03,63,960.51
	Net Balance	A+B+C+D	-46,70,95,858.96	-46,64,94,035.86

Handwritten signature



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024										
Rs. in Hundreds					Rs. in Hundreds					
As at 31st March, 2024					As at 31st March, 2023					
4 NON-CURRENT LIABILITIES										
Long-term Borrowings:										
Unsecured loans										
Advance from Customers					0.00					
					0.00					
CURRENT LIABILITIES										
5 TRADE PAYABLES										
(i) Total Outstanding Dues Of Micro Enterprises And Small Enterprises (MSME) (Note-17(iii), 18 & 27)										
Total Outstanding Dues Of Creditors other than MSME					22,748.98					
					1,500.00					
					24,248.98					
					1,500.00					
					24,248.98					
TRADE PAYABLE AGEING SCHEDULE										
PARTICULARS	2023-2024					2022-2023				
	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	Total	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	Total
(i) MSME										
(ii) OTHERS	1500.00				1500.00	1,500.00				1,500.00
(iii) DISPUTED DUES MSME				22748.98	22748.98				22,748.98	22,748.98
(iv) DISPUTED DUES OTHERS										
7 Other Current Liabilities										
Other Payables-										
Liabilities for Expenses										
Statutory Dues					50,365.20					
Employee related payable					1,08,558.19					
Security deposits					76,811.89					
					72,630.28					
					3,08,365.56					
					3,08,365.56					
					2,35,195.55					
					2,35,195.55					
8 SHORT TERM PROVISIONS:										
For Employee Benefits										
For Wages of Contract Labour					82,998.28					
For GST Input Credit					1,550.98					
For Income Tax					1,18,840.61					
For Hyderabad Fixed Assets					11,75,936.84					
					3,23,137.18					
					17,01,863.89					
					17,01,863.89					
					8,71,954.23					
					3,23,137.18					
					12,79,640.67					
CURRENT ASSETS										
9 TRADE RECEIVABLES										
NIL										
NIL										

[Handwritten Signature]



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024										
NOTE 6 : PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT										
	Freehold Land	Approach Road	Land Development	Factory & office Building	Building Residential	Non Residential Building	Railway Sidings	Furniture, Fittings, Office equipments	Computers	Total
GROSS BLOCK										
Balance as at 01.04.2023	27961986.31	2375.95	230171.57	297752.87	1503938.48	318773.06	12589.07	20891.68	101714.02	30538223.01
Cost	15455.98	2375.95	230171.57	144731.41	1407558.80	318773.06	12589.07	20891.68	101714.02	2442291.54
Revaluation increase	27946530.38			153021.46	96379.68					28195931.47
Additions during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00
Balance as at 31-03-2024	27961986.31	2375.95	230171.57	297752.87	1503938.48	318773.06	12589.07	209304.68	101714.02	30638606.01
ACCUMULATED DEPRECIATION										
On Cost										
Balance as at 01.04.2023	0.00	2257.15	218662.54	130112.38	957294.98	282411.20	11359.59	197952.80	96628.30	1897279.34
Depreciation for the year	0.00	0.00	0.00	580.58	11763.16	0.00	0.00	81.23	0.00	12434.97
Withdrawal on sale				4568.00						4568.00
(A)As on 31-03-2024	0.00	2257.15	218662.54	135260.96	969058.14	282411.20	11359.59	198034.03	96628.30	1914272.31
On Revaluation Amount										
Balance as on 01.04.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciation for the year	0.00	0.00	0.00	1435.30	1522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.10
Withdrawal on sale				151586.16						151586.16
(B)As at 31-03-2024	0.00	0.00	0.00	153021.46	1522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154544.26
(A+B)As at 31-03-2024	0.00	2257.15	218662.54	288282.42	970580.94	282411.20	11359.59	198034.03	96628.30	1068816.57
NET BLOCK										
As at 31-03-2023	27961986.31	118.80	11508.83	107640.48	546643.50	36361.36	629.48	10568.88	5085.72	2740943.56
As at 31-03-2024	27961986.31	118.80	11508.83	9470.45	533157.54	36361.36	629.48	11170.65	5085.72	23569789.44
NET BLOCK										
As at 31-03-2024	27961986.31	118.80	11508.83	9470.45	533157.54	36361.36	629.48	11170.65	5085.72	23569789.44
Cost	15455.98	118.80	11508.83	9470.45	438000.66	36361.36	629.48	11170.65	5085.72	578407.23
Revalued amount	27946530.13				94356.88					28041387.21

NOTES:

1. Considering preparation of these financial statements on liquidation basis, the assets shown in this Note are effectively held for disposal and will be disposed off in the manner as approved by the authority.
2. Subsequent to the approval of the Union Cabinet for closure of HCL, the Company has received two orders from the Government of Telangana dated 16.07.2018 and 25.07.2018 resuming Hyderabad land of the Company under Government custody along with the structures existing thereon. The Company has accordingly made a provision of Rs. 323137.18 (Rs in Hundreds) being the book value of land and other assets located on the said land as on 31st March 2023. Company has obtained Stay on resumption order from Hyderabad High Court. No depreciation has been charged on Hyderabad assets as the entire written down value as on 31.03.2023 has been provided for.
3. The Golf Link Apartments at Kolkata have been transferred to National Land Monetisation Commission (NLMC) on 17.07.2023 at written down value Rs.4568.00 (Rs. in Hundreds), vide Office Memorandum Number 9/01/13/ 2020 PE-I (e-213334) dated 15th February, 2023 of the Ministry of Heavy Industries, Government of India. These assets were revalued as on 31.03.2023 and the balance WtG in Revaluation Reserve in respect of these assets have been withdrawn.
4. Land and Buildings Residential at Rupnarayanpur were revalued on 31.03.2023 by registered valuer with revaluation increase of Rs. 279,30,923.66 (Rs. in Hundreds) and Rs. 2,73,87,000 (Rs. in hundreds) respectively. In the opinion of the management, the revalued amounts represent estimated realisable value of the assets on disposal. Accordingly these assets are carried at such revalued amounts and depreciation on revalued assets have been withdrawn on revaluation reserve.
5. Purchase of Furniture at Rupnarayanpur effected on 20-03-2024 Rs. 383.00 (Rs. in Hundreds)

K. MOHAN
 CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
 HINDUSTAN CABLES LIMITED



[Handwritten signature]

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024				
	Rs. In Hundreds		Rs. In Hundreds	
	As at 31st March, 2024		As at 31st March, 2023	
10 CASH & CASH EQUIVALENTS				
Cash in hand	-	-	-	-
In Fixed Deposits with Scheduled Banks:				
Bank Of Baroda	16,09,000.00		37,20,202.69	
Indian Bank	3,06,265.57	19,17,265.57	2,74,152.10	39,94,354.79
In current Accounts with Scheduled Banks:				
Bank of Baroda	20,80,834.94		3,04,233.06	
Indian Bank	802.57	20,81,637.51	802.57	3,05,035.64
Notes:				
1. Fixed deposit of Rs 99,000 hundred with BCB is under lien for issue of bank guarantee of Rs 50,000 hundred (Note 25)		39,98,903.08		42,99,390.43
11 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES				
Advance recoverable in cash or kind or for value to be received:				
Considered Good	383.78			383.78
Considered Doubtful	4,557.29			4,557.29
	4,941.07			4,941.07
Less: Provision for Doubtful Advance	4,560.77			4,560.77
	380.30	380.30		380.30
Other amount Receivable		1,463.44		1,463.44
Advance Payment of Income Tax and TDS	52,713.35		62,884.64	
Advance Capital Gain Tax	11,75,336.84	12,28,050.19	11,79,399.08	12,42,283.72
		12,29,893.93		12,44,127.46
12A OTHER CURRENT ASSETS				
Security Deposit		1,480.00		-
Deposit with Court for Litigated Cases		10,67,590.00		6,65,610.00
Balance with Revenue Authority (GST Input Credit)		1,18,840.61		1,22,193.32
Accrued Interest		2,321.16		22,983.22
		11,90,231.77		8,10,786.54
12B OTHER NON CURRENT FINANCIAL ASSETS				
Bank Deposits exceeding 12 months maturity		19,30,000.00		19,30,000.00
		19,30,000.00		19,30,000.00

Chy



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024				
		Rs. In Hundreds		Rs. In Hundreds
		For the year ended		For the year ended
		31st March, 2024		31st March, 2023
13	OTHER INCOME			
	Interest on Fixed Deposits with Scheduled Banks		3,87,699.84	3,24,600.52
	Interest on IT refund -AY 2013-14	4,312.35		1,560.45
	-AY 2023-24	1,570.64	5,882.99	1,560.45
	Miscellaneous Income			-
			<u>3,93,582.83</u>	<u>3,26,160.97</u>
14	EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS			
	Salaries & Wages	NIL	NIL	NIL
15	OTHER EXPENSE :			
	Power & Fuel			-
	Electricity Charges		1,611.24	2,815.27
	Repairs to :			
	Others		2,799.38	2,496.12
	Rates and Taxes		236.90	1,096.14
	Retainership fees (consultants)		44,429.37	41,435.50
	Consultancy Fees		1,215.00	22,480.00
	Travelling & Conveyance		11,976.18	8,652.83
	Postage, Telegram & Telephone		1,287.03	1,439.49
	Interest on Others		1,601.96	-
	Bank Charges		655.09	452.24
	Audit Fees:-			
	Statutory Audit	1,250.00		1,250.00
	Tax Audit	250.00	1,500.00	250.00
	Management services		4,792.00	3,950.00
	Printing & Stationery		1,159.50	1,116.78
	Legal Expense		66,214.06	45,722.04
	Security Expenses		85,516.47	71,388.26
	Professional fees - others		9,053.30	7,451.20
	Professional fees - POHW Compliance		9,800.00	
	Miscellaneous Expenses		145.19	407.65
	Other Expenses		3,711.51	1,907.28
	Land Revenue		35,237.00	
	Rent		11,008.79	
	GST Expenses		5,787.17	
			<u>2,99,737.14</u>	<u>2,14,310.80</u>

Ch...



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024			
		Rs. In Hundreds	Rs. In Hundreds
		For the year ended 31st March, 2024	For the year ended 31st March, 2023
B	PROVISIONS :		
	Provision against Doubtful Assets - GST input credit	1,18,840.61	3,23,137.17
			-
		<u>1,18,840.61</u>	<u>3,23,137.17</u>
C	PRIOR PERIOD ADJUSTMENT :		
	Other Expenses [Refer Note 36]	1,03,123.63	1,95,862.59
		<u>1,03,123.63</u>	<u>1,95,862.59</u>
	TOTAL [A+B+C]	<u>5,21,701.38</u>	<u>7,33,310.56</u>
16	EXTRA-ORDINARY ITEMS [Refer Notes - 24]		
	Liability Written Back		36,796.85
	Assets Written off (GST input tax credit)	-3,352.71	-3,095.06
	Profit on Sale of Fixed Assets [Refer Note 24 & 28]	nil	19,80,873.17
		<u>-3,352.71</u>	<u>20,14,574.96</u>

Handwritten signature



HCL -72 nd AGM - 28.10.2024 (4.00 PM)

page 51 of 57

NOTE 17

a) Contingent liability not provided for:		As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
		Rs. in Hundreds	Rs. in Hundreds
i)	Cases under Arbitration - creditor	90,000.00	87,000.00
	Cther Court Cases		
ii)	GOYAL GAS - creditor	22,15,000.00	21,11,000.00
iii)	AVI POLYMER - creditor	7,43,000.00	6,30,000.00
iv)	JOYMAA SONTOSHI SAW MILL - creditor	3,10,000.00	1,77,160.00
v)	VIDYAWATI CONSTRUCTION - creditor	1,03,000.00	98,300.00
vi)	DARCL - creditor	0.00	92,460.00
vii)	J P MAHATA - creditor	48,000.00	61,000.00
viii)	KRISHNA TRADERS - creditor	2,000.00	2,200.00
ix)	OTHER MISC. COMMERCIAL CASES- creditor	2,78,000.00	2,46,000.00
x)	INCOME TAX Demand AY 2014-15 - statutory	12,000.00	12,000.00
xi)	INCOME TAX Demand AY 2018-19 - statutory	1,61,49,000.00	1,61,49,000.00
xii)	INCOME TAX DEMAND AY 2021-22 - statutory	99,33,000.00	99,33,000.00
xiii)	Estimated amount of Excise Duty and interest thereon, not provided for - statutory	3,52,000.00	3,52,000.00
xiv)	Levy of Damages u/s 14B and Interest u/s 7Q of the EPF & Mp Act, 1952- statutory	13,500.00	96,000.00
xv)	CONTRACTOR'S LABOUR - labour	31,000.00	31,000.00
xvi)	RECALCULATION OF VRS - service	1,00,000.00	1,00,000.00
xvii)	Claim of VRS by the ex-employees superannuated prior to closure - service	1,12,000.00	1,12,000.00
xviii)	Outsiders demanded wages from HCL but they never engaged or terminated by HCL- labour	1000	0
xix)	Service terminated due to disciplinary proceedings & demand for higher wage - service	60,000.00	60,000.00
xx)	Claim of salary for unauthorised leave and claim on consultancy by ex-employees -service	32,000.00	32,000.00
xxi)	Casual workers terminated but case pending for employment - service	9,69,000.00	9,69,000.00
xxii)	Dy Labour Commissioner/ALC - labour	15,000.00	15,000.00
xxiii)	Labour Court - labour	18,000.00	18,000.00
xxiv)	C. G. Industrial Tribunal - labour	90,000.00	2,45,000.00
xxv)	Industrial Tribunal- labour	3,000.00	3,000.00
xxvi)	Arrear against pay revision pending before Supreme Court, High Courts, Tribunal- service	41,18,000.00	41,72,000.00
xxvii)	Balance Gratuity awarded to Casual workers by Asst. Labour Commissioner	2,55,000.00	2,55,000.00
xxviii)	Balance Gratuity awarded to V. R. Employees by Asst. Labour Commissioner - service	26,000.00	26,000.00
xxix)	Claim of Salary and Wages for 58-60 including PF but excluding interest on PF pending adjudication - service	50,08,000.00	50,33,200.00
xxx)	Miscellaneous service case - service	6000	7000
xxx(i)	Municipal Tax, Hyderabad Land - statutory	4,08,578.00	
xxxii)	Demand for enhanced compensation for the Land acquired by TSIC for the purpose of HCL	40,000.00	40,000.00
xxxiii)	Miscellaneous cases - - service	20,000.00	20,000.00
TOTAL		4,15,61,078.00	4,11,85,320.00

b) In none of the cases cash outflow is envisaged at this point of time as assessed by the management. There is no possibility of any reimbursement.

NOTE 18 As company's manufacturing activities have been ceased since 2005, the Company has not been making any procurement since then, including from MSME. There is old outstanding balance of Rs. 22748.98 (Rs. in Hundreds) (previous year Rs. 22748.98) [Rs. in Hundreds] in respect of one MSME vendor relating to the period prior to 2003, which is either time barred or under litigation. Hence no interest on the principal amount has been provided under the MSME act. (Refer Note 27)

NOTE 19 Two assessment orders u/s 7A (Rs 1896994 hundred) and 14B (Rs 2250711 hundred) of the EPF and MP Act of 1952 by EPFO, Durgapur along with interest thereon u/s 7Q upto 31.03.2018 has been paid by the Company as statutory liability. However, appeals against the above two orders were filed by the Company before EPFAT, New Delhi and these are now pending before CGIT Asansol.

NOTE 20 Interest assessed u/s 7Q of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 by EPFO, Allahabad has been challenged by the Company before Allahabad High Court and stay order has been obtained on the Assessment Order. The amount has been included in the contingent liability.

Note 21 As per the provisions of Schedule II of the Company's Act, 2013, depreciation for the year ended 31.03.2024 has been provided on the basis of useful life of the assets. Depreciation on revalued assets at Kolkata and Rupnarainpur has been adjusted with Revaluation Reserve. No depreciation has been charged on PPE of Hyderabad as the entire value of PPE at Hyderabad has been provided for in 2022-23 (**Note 6**).

Note 22 The Union Cabinet in its meeting held on 28.09.2016, inter alia, approved closure of HCL by offering VRS/VSS to all its employees and disposal of all assets. The same was conveyed by DHI vide letter No. 1(13)/2003-PE-II (Vol.X) dated 6th October, 2016. Closure was to be done by relieving all the employees for implementation of approved roadmap for closure of CPSEs under DHI. Accordingly, all the employees were released on 31.01.2017 after payment of compensation sanctioned by the Union Cabinet and plant and machinery have been disposed off in consonance with the approval of the Union Cabinet. The appropriate Government authority has granted permission on 31.05.2017 for closure of HCL u/s 25(O) of The Industrial Disputes Act, 1947. Fund for closure was infused by DHI in the form of equity with approval of Union Cabinet, which has been detailed in Note No. 23. Currently there is no business activity and HCL is trying to complete the formalities for liquidation/winding up as directed. HCL is now closed and in a non-operating stage with no plant, machinery or employee.

Chs.



NOTE 23 Since the year 2003, the Company has availed various loans from time to time from Government of India for payment of salary, wages and other statutory dues. Aggregate of such loan as on 31.03.2016 is Rs. 13,11,88,480 (Rs. In Hundreds) of principal and Rs. 18,16,60,970 (Rs. In Hundreds) of interest totalling to Rs.31,28,49,450(Rs. In Hundreds). Additional interest of Rs.5,63,48,040/- (Rs In Hundreds) has been accrued during the period from 01.04.2016 to 30.09.2016.DHI vide their letter No. 1(13)/2003-PE-II(VOL X) dated 06.10.2016 has conveyed approval of Union Cabinet for "conversion into equity" of the existing Govt. of Indias loan of Rs.34,67,15,000/- (Rs In Hundreds) (projected) ,(Principal of Rs.13,188,000/- (rs. in Hundreds) and interest of Rs.21,55,27,000/- (Rs. In Hundreds) as on 30.09.2016 (freezing the interest thereafter).

In terms of the approval of the Union Cabinet in meeting held on 28.09.2016 for closure of Hindustan Cables limited, during the financial year 2016-2017 the company has received cash infusion in the form of non-plan equity for Rs. 2,58,50,000 (Rs. in Hundreds) and Rs. 1,41,50,000 (Rs. In Hundreds totalling to Rs.4,00,00,000/- (Rs. In Hundreds). The said amount was utilised for OTS of the dues to secured lenders and payment of part of pending salary, wages and statutory dues. Further, during financial year 2016-17, the Company had received sanction of cash infusion in the form of non-plan equity amounting to Rs. 1,64,13,000/- (Rs. In Hundreds) and Rs.4,69,32,000(Rs. In Hundreds), Rs. 21,48,000/- (Rs In Hundreds) and Rs. 8,66,000 (Rs. In Hundreds). These amount were utilized for payment of balance salary, wages and statutory dues, payment of VRS compensation inclusive of gratuity and terminal leave encashment, payment to casual workers and payment against Court Orders in the case of O.Munniswamy Reddy and others.

A table containing sanction order Nos., date, etc, and reconciliation of share application money pending allotment amounting to Rs 1,53,92,080 (Rs. In Hundreds) is given below:

Particulars		Amount In Rs. Hundreds			
		Year ended 31st March, 2024	Year ended 31st March, 2023		
GOI Principal Loan nAmount as on 1st April 2016		13,11,88,480.00	13,11,88,480.00		
Interest on Loan Accrued and Due as on 1st April 2016		18,16,60,970.00	18,16,60,970.00		
Interest on Loan Accrued and Due for 2016-2017		5,22,59,430.00	5,22,59,430.00		
Interest on Loan Accrued but Not Due as on 30.09.2016		40,88,610.00	40,88,610.00		
Total		36,91,97,490.00	36,91,97,490.00		
Loan/Equity Amount Received during 2016-2017					
Sl No.	GOI Order	Order Date	Nature	Amount In Rs. Hundreds	
1	No.1 (16)/2015-PEI(i)	30.09.2016	Non-plan equity	2,58,50,000.00	2,58,50,000.00
2	No.1 (16)/2016-PEI(ii)	30.09.2016	Non-plan equity	1,41,50,000.00	1,41,50,000.00
3	No.1 (3)/2013-PEI(i)	17.01.2017	Non-plan equity	1,64,13,000.00	1,64,13,000.00
4	No.1 (3)/2013-PEI(y)	17.01.2017	Non-plan equity	4,69,32,000.00	4,69,32,000.00
5	No.1 (3)/2013-PEI(ii)	17.01.2017	Non-plan equity	21,48,000.00	21,48,000.00
6	No.1 (3)/2013-PEI(iii)	17.01.2017	Non-plan equity	8,66,000.00	8,66,000.00
Total				10,63,59,000.00	10,63,59,000.00
Less : Amount transferred to GOI during FY 2017-2018				1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
Less : Reversal of excess interest booked in earlier years				5,11,410.00	5,11,410.00
Less : Amount paid on behalf of GOI for purchase of shares of HCL from Canara Robeco Mutual fund				1,000.00	1,000.00
Less : Share Allotted to Government of India (4,44,65,20,000 non of shares of Rs. 10 each)				44,46,52,000.00	44,46,52,000.00
Share Application Money Pending Allotment				1,53,92,080.00	1,53,92,080.00

The closure proposal was prepared by DHI, GOI, in the months of July/August 2016 which was approved by the Union Cabinet on 28.09.2016. The proposal was based on projected interest of Rs 21,55,27,000 hundred. However the actual interest as on 30.09.2016 amounted to Rs 23,74,98,000 hundred after reversal of excess interest of Rs.511000 hundred booked in earlier years.

NOTE 24 Extra-Ordinary Items

Heads	Amount(2023-24)		Amount(2022-23)
	Rs. In Hundreds	Rs. In Hundreds	Rs. In Hundreds
Profit on Sale of Fixed Assets	NIL	19,80,873.17	
Less: Assets written off	3352.71	-3,095.06	
Add: Liabilities Written Back	NIL	36,796.85	
Total	3352.71	20,14,574.96	

Note 25 As per the Order of the Hon'ble High Court of Calcutta vide IA No. :GA/1/2020 dated 15th day of November, 2021, a Bank Guarantee dated 14.12.2021 issued by the Bank of Baroda, Jodhpur Park Branch of an amount of Rs.50,000/- (Rs. In Hundreds) PY 50,000(Rs. in Hundreds) against fixed deposit maintained with Bank of Baroda, Jodhpur Park, which has been furnished to the Register, Calcutta High Court in a case which is pending against M/s Joy Maa Santoshi Saw mill. The same was renewed on 14.11.2023 upto 14.11.2024.

Note 26 Other Current Assets (Note 12A) include an amount of Rs.6,67,560/- (Rs. In Hundreds) (Rs. Six Crores, sixty seven lakhs, fifty six thousands only) Previous Year Rs.2,17,580(Rs. in Hundreds) (Rs. Two Crores seventeen lakhs, fifty eight thousand only) deposited with the Register, Delhi High Court as per the Orders dated 21.11.2022 passed by the Delhi High Court in Case No. OMP(ENF)(COMM)263 of 2013 (M/S Goyal MG Gas Pvt. Ltd.-vs-HCL) and also as per Order dated 21.09.2022 and 28.07.2023 passed by Allahabad High Court in appeal u/s 37 of Arbitration and Conciliation Act 1996, No. 65 of 2022. The Claim amount of Rs.2215000/- (in hundreds), being under litigation, has been disclosed under Contingent liability (Note 17 (ii))

Note 27 Other Current Assets (Note: 12 A) include an amount of Rs. 40,000/- (Rs. In Hundreds) (Rs. Four Crs. Three thousand only) Gujrat deposited as per the Order dated 12.01.2023 passed by the Additional District Judge, Gandhinagar, Gujrat in case no. CMA 76 of 2022 (HCL vs-M/S AVI Polymer Pvt. Ltd.). The Claim amount of Rs.743000/- (in hundreds) being under litigation, has been disclosed under Contingent liability (Note 17(iii))



NOTE 28 As per the Direction of DPE, GOI vide letter No. DPE/11(09)2022-DD dated 23.08.2022 and direction given by DHI, GOI vide letter No.9-01(01)/2020-PE-II (e21334) dated 15.02.2023, the Company has transferred four flats at Golf Link Apartments, Kolkata at Book Value (before revaluation), as given below:-

SN	Flat No.	Amount(Rs. In Hundreds)
1	E-1	1142
2	E-2	1142
3	J-0	1142
4	L-2	1142

Note 29 Information pursuant to AS-18 " Related Party Transactions". There are no transactions with related parties during the year.

Note 30 As the manufacturing activity of the Company has ceased since long, the Government of India has decided for closure of the Company, hence no segment results have been prepared.

NOTE 31	Calculation of Earning per Share :	2023-2024	2022-2023
	Profit/(Loss) as per Profit & Loss A/c (Rs.hundreds)	-4,47,278.84	15,73,834.18
	Weighted Average No. of Shares	4,86,58,81,125	4,86,58,81,125
	Earning per share	-0.01	0.03

NOTE 32	RATIOS	AS AT MARCH 31ST	AS AT MARCH 31ST	VARIANCE
	PARTICULARS	2024	2023	
	Current ratio	3.16	5.38	-2.22
	Debt Equity Ratio	0.00	0	0.00
	Debt Service Coverage ratio	NA	NA	NA
	Return on Equity Ratio	-0.064	-0.08	0.02
	Inventory Turnover ratio	NA	NA	NA
	Trade receivable Turnover Ratio	NA	NA	NA
	Trade Payable Turnover ratio	NA	NA	NA
	Net Capital Turnover ratio	NA	NA	NA
	Net Profit ratio	-0.36	-1.35	0.99
	return on Capital Employed	-0.020	-0.01	-0.01
	Return on Investments	NA	NA	NA

1. net profit has been considered before extraordinary items

NOTE 33 The Company has adopted liquidation basis of accounting for preparation of its financial statements and have accordingly represented some of its assets at realisable value based on valuation done by registered valuers with corresponding credit to Revaluation Reserve

NOTE 34 Employee Remuneration and Benefits: since there are no employees on the payroll of the Company, the amount has been shown as NIL.

NOTE 35 During the year, the Company has received income tax refunds for the following two assessment years as follows:

AY 2013-14	18002.60(Rs. In Hundreds)
AY 2023-24	40837.20(Rs. In Hundreds)

Handwritten signature



NOTE 36 Prior Period adjustment in note no. 15C to Profit & Loss Account constitute the following items.

Particulars	Amount (in Rs. Hundreds)	
	2023-24	2022-23
Interest on Property Tax (Prior Period)	23.67	-
Interest on CJ DARCL (Prior Period)	24,249.31	-
Land Revenue (Prior Period)	35,237.00	-
Penalty on Property Tax (Prior Period)	17.59	-
Property Tax Prior Period Expenses	1,133.01	-
Transportation Charges CJ DARCL(Prior Period)	42,463.05	-
Old P.F. Case Settled	-	1,95,862.59
	1,03,123.63	1,95,862.59

NOTE 37

REVALUATION RESERVE:

	2023-24	2022-23
	Amount (in Rs. Hundreds)	
1. Balance at beginning of the year	2,81,95,931.47	-
2. Revaluation reserve created during the year	-	2,81,95,931.47
3. Depreciation on revaluation increase adjusted against revaluation reserve	2958.1	-
4. Revaluation reserve related to assets disposed off	1,51,586.16	-
5. balance at the end of the year	2,80,41,387.21	2,81,95,931.47

NOTE 38

(a) Other Current Assets: Deposit with Court for Litigated Cases:

This includes the following:

	2023-24	2022-23
	Amount (in Rs. Hundreds)	
Deposit with court for creditor (Avi Polymer)	4,00,030.00	4,00,030.00
Deposit with court for Goyal Gas	6,67,560.00	2,17,580.00
Deposit with court for creditor (Darcl)	-	48,000.00
	10,67,590.00	6,65,610.00

(b) Advance Recoverable in cash or in kind or for value to be received:

Advance to CBA & Associates	7.80	7.80
Rent Receivable	375.98	375.98
	383.78	383.78

NOTE 39

(a) To best of the knowledge and belief of the Management no funds have been advanced or loaned or invested by the company (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kinds of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Intermediaries" with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company "Ultimate Beneficiaries" or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) To the best of knowledge and belief of the management, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Parties) with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.



Note 40 GST Input Credit outstanding in the books amounting to Rs.118840.61(Rs. In hundreds) and matching with Input credit claim in GST portal has been provided for as the Company does not have any turnover, adjustment of this credit is not probable. Amount in the books in excess of balance in GST portal amounting to Rs.3352.71(Rs. in Hundreds) has been written off.(Refer Note 16)

NOTE 41 No provision for MAT relating to current financial year has been made as the Company is a sick company which was registered with BIFR in 2002 vide no 505 and continues to have negative net worth till end of the year

NOTE 42 The figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary.

In terms of our report of even date.


For Guha, Nandi & Co,
Chartered Accountants
FRN: 302039E


(SYAMSUNDAR ROY)
Partner
(M.No : 053569)
UDIN : 24053569BKMGDF9099
Place: Kolkata
Date:19.08.2024




(K Mohan)
Chairman and Managing Director
DIN - 08385809

K. MOHAN
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
HINDUSTAN CABLES LIMITED


(Amal Kumar Bose)
Adviser



Corporate and Registered Office

167/A, Ajoy Nagar, (5 th Road), Kolkata - 700099

Email : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

Rupnarainpur Unit

P.O. Hindustan Cables

Rupnarainpur – 713335

District : West Burdwan, West Bengal

Email : ojharavi7@gmail.com

Record Office of Rupnarainpur

1st Floor, “MAYA ENCLAVE”, S, B. Gorai Road (Middle),

Near Vidyasagar Maidan, Asansol - 713301

Hyderabad Unit

P.O. Hindustan Cables

Hyderabad – 500051, Telangana

Email : hindustan_cables@yahoo.com

Allahabad Unit

Flat no. FF-2, 25, J & K, Sukhrawati, Talwar Apartment Tagore Town,

Prayagraj, U.P- 211002, Email : 016Paras@gmail.com

2023-24

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



72वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मण्डल, लेखा परीक्षक, बैंकर्स	3
2	वार्षिक आम बैठक की सूचना	4-6
3	निदेशकों का प्रतिवेदन	7-11
4	सचिवीय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन	12-17
5	भारत के लेखा-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	18-19
6	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी का स्पष्टीकरण	20-22
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा- परीक्षकों का प्रतिवेदन	23-38
8	पिछले दस वर्षों की एक झलक	39
9	31.03.2024 तक का तुलन-पत्र	40
10	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	41
11	31.03.2024 को समाप्त वर्षों के लिए नकद प्रवाह विवरण	42
12	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खातों पर टिप्पणियाँ	43-56
13	कार्यालयों का स्थान	57



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री के. मोहन	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पंकज कुमार	: निदेशक
श्री अरुण कुमार सरकार	: निदेशक
श्री मदन पाल सिंह	: निदेशक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी (सीए 0017)
सनदी लेखाकार
कोलकाता

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
इलाहाबाद बैंक

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
(भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन)
वेबसाइट : www.hindcables.net

नेगम कार्यालय

167/ए, अजय नगर, (5वीं रोड), कोलकाता - 700075



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
167/ए, अजय नगर (5वीं रोड)
कोलकाता 700075



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
167/A, Ajoy Nagar (5th road)
Kolkata 700075

सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

वेबसाइट : www.hindcables.net

सी ओ आर पी/एस ई सी/72 ए जी एम/2023-24

दिनांक : 16.10..2024

72वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 72वीं वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 28 अक्टूबर 2024** को हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, 167/ए, अजय नगर (5वीं रोड) कोलकाता 700075 में 04.00 बजे अपराह्न में निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक के प्रतिवेदन को विचार करना एवं अपनाना।
2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा उस तारीख का तुलनपत्र के साथ उस पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना तथा अपनाना।
3. वर्ष 2024-25 के लिए लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया जा सकता है।

कृते हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
आपका आभारी,

(के. मोहन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

सेवा में

सभी सदस्यगण, निदेशक एवं लेखापरीक्षक

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (संलग्न सूची के अनुसार)

टिप्पणी :

1. किसी बैठक में भाग लेने एवं वोट देने हेतु अधिकार प्राप्त सदस्य, अपने स्थान पर किसी ऐसे प्रतिनिधि को भाग लेने एवं वोट देने हेतु नामित कर सकते हैं, जो कि कंपनी का सदस्य नहीं हो। प्रतिनिधि-फार्म की एक प्रतिलिपि संलग्नित है, जिसे यदि प्रयोग किया गया हो, तो उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पूरी तरह से भर कर बैठक के प्रारंभ होने से 48 घण्टा पहले जमा करें।
2. कंपनी के संदस्यों का पंजीयन तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 07.09.2024 से 14.09.2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद कर दिया गया है।



फॉर्म नं. एमजीटी-11

प्राक्सी प्रारूप

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

सीआईएन:

कंपनी का नाम:

पंजीकृत कार्यालय:

सदस्य(सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी :

डीपी आईडी :

मैं/हम, के सदस्य होने के नाते उपरोक्त नामित कंपनी के शेयर, एतद्वारा नियुक्त करते हैं।

1. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:..... या उसे असफल करना

2. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:....., या उसे असफल करना

3. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:.....



..... (स्थान) में दिन..... को पूर्वाह्न/अपराह्न को आयोजित होने वाली कंपनी केवार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में मेरे/हमारे और मेरी/हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में और ऐसे संकल्पों के संबंध में किसी भी स्थगन पर, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

संकल्प सं.

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक के प्रतिवेदन का विचार करना तथा अपनाना।
2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा उस तारीख तक का तुलन-पत्र साथ में उसपर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन पर विचार करना तथा अपनाना।
3. वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देना।

इस दिन 20..... को हस्ताक्षरित

राजस्ट
टिकट
चिपकाएं

शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रतिनिधि धारकों का हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रभावी होने वाले आदेश में प्राक्सी के रूप में विधिवत पूरा किया होना चाहिए तथा बैठक आरंभ होने के कम के कम 48 घंटा पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक मंडल की तरफ से, मुझे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लेखा के अवलोकन हेतु कंपनी के कार्य पर 72वां वार्षिक प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है।

2. कार्य-संपादन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एच. सी. एल. के कर्मचारियों को वी आर एस / वी एस एस की पेशकश करते हुए कंपनी अधिनियम 1956/2013, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए 28.09.2016, अन्य बातों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुआवजे के भुगतान कर 31.01.2017 को कार्य से मुक्त कर दिया गया था।

जैसा कि चीजे आज भी हैं, कंपनी की भूमिका में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी ने कंपनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत कंपनी को बंद करने की अनुमति दी है।

वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है तथा एच सी एल जैसा कि परिसमापन/समापन के लिए निर्देश दिया गया है के औपचारिकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अब बंद हो गया है और एक गैर-परिचालित अवस्था में है साथ में कोई संयंत्र, मशीनरी या कर्मचारी या आउटसोर्स कार्याधिकारी नहीं है।



3. वित्तीय परिणाम

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने रु. (4.47) करोड़ का लाभ (हानि) किया है। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के परिणाम की स्थिति का सार नीचे दिये गये हैं :

(रु. लाख में)

		2023-24	2022-23
(क)	कुल राजस्व	393.58	326.16
(ख)	घटाएं : कुल व्यय	534.14	762.84
(ग)	लाभ (हानि) असाधारण मद एवं कर पूर्व :	(140.54)	(436.68)
(घ)	असाधारण मदें	(3.35)	2014.57
(ङ)	आयकर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित)	(303.38)	(4.06)
(ड)	वर्ष के लिए लाभ(हानि)	(447.27)	1573.83

4. शेयर पूंजी

कंपनी का अधिकृत पूंजी रु. 6000 करोड़ है। 31.03.2024 तक अभिदत्त तथा चुकता पूंजी रु. 10 प्रति के 4865881125 इक्विटी शेयर में से विभाजित कर रु. 4865.88 करोड़ पर पहुंच गया है।

5. उधारी

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कोई उधार नहीं लिये हैं।

6. राष्ट्रीय कोष को अंशदान

आयकर, ठेकेदारों और परामर्श सेवाओं पर टीडीएस, जीएसटी, दरें और कर आदि के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में कंपनी का योगदान कुल मिलाकर 0.71 करोड़ रुपये है।

7. मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी अधिनियम 1956/2013, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अन्य प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए दिनांक 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के संबंध में, कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को एच सी एल, नैनी यूनिट के 125 कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्होंने वी आर एस आवेदन नहीं किया था (जिन्हें एच.ए.एल की एक अनुषंगी एन.ए.ई.एल को स्थानांतरित कर दिया गया) तथा कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को उनके वी. आर. आवेदन को स्वीकार कर 31.01.2017 को कार्य मुक्त कर दिया गया है।

8. धारित भूमि की स्थिति

कंपनी के पास रूपनारायणपुर, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल में 947.23 एकड़ जमीन है। कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार के दो शैक्षणिक संस्थानों (आईटीसी और एनसीपी) के पक्ष में बारामुरी मौजा, रूपनारायणपुर में 8.85 एकड़ जमीन के उपहार विलेख को चुनौती देते हुए आसनसोल कोर्ट के समक्ष एक टाइटल मुकदमा दायर किया है। बारामुरी मौजा में 0.39 एकड़ के एक छोटे से पार्सल के लिए, स्वामित्व रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर पहचान के लिए स्थानीय भूमि राजस्व कार्यालय द्वारा म्यूटेशन रोक दिया गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हैदराबाद में कंपनी द्वारा धारित 324 एकड़ 35 गुंटा भूमि के संबंध में, तेलंगाना सरकार ने संपत्ति के मालिकाना हक का दावा किया और जुलाई, 2018 के दौरान बहाली का आदेश दिया। कंपनी ने हैदराबाद उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और यह अब विचाराधीन है।

9. निदेशकों के दायित्व पर बयान

कंपनी के निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

- (i) यह कि वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करते हुए प्रयुक्त खातालेखन मानदण्डों का प्रयोग किया गया है तथा कोई सामग्रिक फेर बदल नहीं की गयी है।
- (ii) यह कि चुनिंदा खातालेखन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है तथा निदेशकों ने निर्णय एवं आंकलन इस प्रकार से किए हैं, कि उचित तथा विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सही एवं स्वच्छ छवि मिल सके।
- (iii) यह कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं से बचाव हेतु पर्याप्त खातों के समुचित एवं पर्याप्त रखरखाव का ख्याल रखा गया है।
- (iv) यह कि वार्षिक खातों को कंपनी को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के मद्देनजर एक चालू संस्थान के अनुसार ऐतिहासिक समझौता के अधीन तैयार नहीं किये गये।

10. लेखा परीक्षा समिति

21.03.2022 को आयोजित 358वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का पुनः गठन किया, जिसमें श्री मदनपाल सिंह, अध्यक्ष के रूप में, लेखा परीक्षा समिति, श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य के रूप में, लेखा परीक्षा समिति और श्री के. मोहन, सदस्य, लेखा परीक्षा समिति के रूप में सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण के बारे में अंकेक्षक के साथ समीक्षा और चर्चा करने लेखा की गुंजाइश और अंकेक्षक की टिप्पणियों, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा और बोर्ड द्वारा संदर्भित कोई भी मामला के लिए होती हैं।

11. निदेशक मंडल

श्री के. मोहन को भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एमएचआई के उप सचिव श्रीमती सुषमा बत्रा के स्थान पर एमएचआई के आदेश संख्या 1(15)/2001-पीई.II/सीपीएसई-II (ई-4246) दिनांक 16.11.2023 के तहत नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल भारी उद्योग मंत्रालय की उप सचिव श्रीमती सुषमा बत्रा द्वारा हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है।

संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के डीडीजी (प्रशिक्षण) श्री पंकज कुमार को एमएचआई आदेश संख्या 1(15)/2001-पीई.II/सीपीएसई-II (ई-4246) दिनांक 03.07.2024 के तहत श्री विवेक नारायण, डीडीजी (डीएस), डीओटी, संचार मंत्रालय के स्थान पर तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल ने श्री विवेक नारायण, डीडीजी (डीएस), संचार मंत्रालय द्वारा हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में दी गई सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की।

बोर्ड की बैठक पूर्व सूचना और एजेंडा पत्रों के अग्रिम वितरण के साथ होती है। बैठकें रणनीति निर्माण, नीति और नियंत्रण, प्रदर्शन की समीक्षा और वैधानिक रूप से आवश्यक मामलों पर विचार करने पर केंद्रित होती हैं।



12. लेखापरीक्षक

वर्ष 2023-24 के लिए, मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी (सीए 0017), सनदी लेखाकार को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एवं ए जी) द्वारा नियुक्त किया गया।

13. लेखा परीक्षण समीक्षा

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ, सदस्यों को सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन एवं टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब संलग्नित हैं।

14. शेयरों पर सूचनाएं

शेयर हस्तांतरण का स्थान लेने वाले भारत के राष्ट्रपति के नामितों में से हैं। 31 मार्च, 2024 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	4865881125	100.00
	कुल	4865881125	100.00

कंपनी CIN U31300WB1952GOI020560 वाला एक असूचीबद्ध इकाई है।

पिछली 3 वार्षिक आम बैठकें 21.12.2021, 28.12.2022 और 22.11.2023 को कोलकाता में आयोजित की गईं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

15. आभार ज्ञापन

कंपनी का निदेशक मण्डल, भारी उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं अन्य भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार से प्राप्त समर्थन, निर्देश एवं सहायता हेतु आभारी है। निदेशकगण भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा वाणिज्यिक लेखा-परीक्षण के प्रमुख निदेशक के कार्यालयों द्वारा सहयोगिता एवं समर्थन हेतु उनको भी धन्यवाद देते हैं।

इस अवसर पर निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में कंपनी के अनुबद्धित कार्यकर्ताओं के सहयोगिता एवं योगदान हेतु सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

पंजीकृत कार्यालय
167/ए, अजय नगर, (पांचवीं रोड)
कोलकाता 700 075
दिनांक : 21.09.24

(के. मोहन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



राजकिशोर राम
पेशेवर कंपनी सचिव

113ए, ए.जे.सी. बोस रोड
5वीं मंजिल, कमरा नं.5/6
कोलकाता-700014, पश्चिम बंगाल
मोबाइल नं.9903880503
ईमेल: csrkr@gmail.com

सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के अनुपालन स्वरूप तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9, सचिवीय लेखा-परीक्षण पर निर्देशीय टिप्पणी के साथ माना जाए)

इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया का (रीलीज 1.2)

सेवा में

सदस्यगण

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1/315, गरियाहाट रोड

कोलकाता-700068, पश्चिम बंगाल

- मैंने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 167/ए, अजय नगर संतोषपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है का 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (जिसे इसके बाद 'समीक्षाधीन वर्ष' कहा जाएगा) के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है, जिनके पास सी आई एन यू 31300 डब्ल्यू बी 1952 जी ओ आई 020560 है (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा)। उक्त सचिवीय लेखा-परीक्षण को (रीलीज 1.2) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के अनुपालन स्वरूप तथा कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) अधिनियम, 2014 के नियम 9, सचिवीय लेखा-परीक्षण पर निर्देशीय टिप्पणी के अनुसार किया गया, जिससे मुझे इनके द्वारा नैगम आचार एवं विभिन्न संविधानों, अधिनियमों, दिशानिर्देशों के तहत सांविधिक अनुपालनों के आंकलन करने का यथेष्ट आधार उपलब्ध कराया है, जिससे मैं निम्नलिखित तरीके से इस प्रतिवेदन में अपना मत व्यक्त करता हूँ।
- सचिवीय अधिसूचना के सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी के बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म एवं भरे हुए रिटर्नों तथा कम्पनी द्वारा रखे गये अन्य रिकॉर्डों, जो मुझे दिखाए गये, उपरोक्त लेखा-परीक्षण के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेन्टों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों की सूचनाओं के आधार पर, मैं प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली के बारे में नीचे सूचीबद्ध कुछ अपवादों के साथ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और मेरे विचार में कंपनी पर्याप्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र को बनाए रख रही है, जिस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।
- मैंने सचिवीय अनुपालन प्रतिवेदन का परीक्षण हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान तक रखी गई तथा लेखा-परीक्षण के दौरान मुझे उपलब्ध कराई गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्मों एवं रिटर्नों के आधार पर किया है, जिन्हें निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार रखा गया था :
 - कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके तहत बनाये गये नियम;

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं इसके तहत बनाये गये विनियमन एवं कानून:

4. मेरी समझ से तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों के आधार पर, कंपनी ने हाल के पिछले वर्ष में अपनी स्थिति को सूचीबद्ध कंपनी से गैर-सूचीबद्ध कंपनी में बदल लिया है तथा प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने दिनांक 28/09/2016 के पत्र के माध्यम से कंपनी को बंद करने/समाप्त करने के लिए पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि एचसीएल ने 31/01/2017 से अपने सभी कर्मचारियों को कंपनी से मुक्त कर दिया है और इसके अलावा कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रही है।
5. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रही है और कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि कंपनी को अब आवश्यक लिस्टिंग अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपनी स्थिति को एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी में बदल दिया है।
6. मैं अपनी सर्वोत्तम समझ के अनुसार यह भी रिपोर्ट करता हूं कि,
 - क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान श्रीमती सुषमा बत्रा (डीआईएन: 09751794) ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और जोसेफ अतुल टी बारला (डीआईएन.10122179) को दिनांक 16.11.2023 को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
 - ख) बोर्ड की बैठकों के आयोजन के बारे में सभी निदेशकों को उचित सूचना दी जाती है। एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत द्रष्टव्य पहले ही भेजे गये थे तथा बैठक के पूर्व एजेंडा मदों पर आगे की सूचना एवं स्पष्टीकरण को पाने तथा प्राप्त करने हेतु तथा बैठक की अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।



- (ग) बहुमत का निर्णय माना जाता है तथा कार्यवृत्त में रिकार्ड किया गया है।
7. कम्पनी के प्रबंधन द्वारा मेरे समक्ष यह तथ्य रखा गया कि कम्पनी पर सामान्यतया लागू कानूनों के अनुपालन के प्रतिवेदन को बोर्ड के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है तथा कंपनी में, इसके कार्य के आकार के अनुसार निदेशक मण्डल को प्रतिवेदित करने तथा व्यवसाय के उपयोग क्षेत्रों एवं कंपनी पर सामान्यतया लागू कानूनों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु उचित प्रणाली एवं विधि उपस्थित है।
8. मैं आगे बताता हूँ कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, मेरे पास निम्नानुसार टिप्पणियां हैं:
- हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' अधिमानतः कंपनी सचिव और / या मुख्य वित्तीय अधिकारी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) के अनुसार कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के तहत कंपनी 'प्रबंधकीय' कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक' अध्याय XIII के नियम 8 के प्रावधानों के तहत जांच के तहत अवधि के दौरान कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रबंधन द्वारा आगे सूचित किया गया कि उक्त मुख्य प्रबंधकीय' कार्मिक को वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के अंत के दौरान नियुक्त किया गया है,"
 - मुझे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 सहपठित अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में कोई रिपोर्ट या मिनट या कोई अन्य दस्तावेज नहीं मिला है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा मुझे यह बताया गया है कि कंपनी 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार बंद और गैर-कार्यात्मक है और भारी उद्योग मंत्रालय आमतौर पर बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति करता है, हालांकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में ऐसा कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।
- (iii) यह कि मेरे समक्ष निदेशक कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में कोई रिपोर्ट या कार्यवृत्त या कोई अन्य कागजात नहीं आया है चूंकि कंपनी समीक्षाधीन अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
- (iv) चूंकि कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा निर्देशित परिसमापन/समापन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है, आंतरिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं।

हलन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(v) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट यानी www.mca.gov.in के अनुसार, कंपनी ने अपनी स्थिति को सूचीबद्ध इकाई से गैर-सूचीबद्ध इकाई में बदल दिया है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाजार में कोई फ्लोटिंग शेयर उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास आज की तारीख में कंपनी की 100% हिस्सेदारी है।

(VI) आज की तारीख में कंपनी अभी तक कार्यशील गैर-संगत है।

इस प्रतिवेदन को इसी तिथिनुसार के मेरे पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे अनुलग्नक क के तौर पर संलग्नित किया गया है जो कि इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।

राजकिशोर राम

पेशेवर कंपनी सचिव

सदस्यता सं. A22447, सी. पी. सं. : 16589

यूडीआईएन : A022447F001223141

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 15 सितम्बर 2024



राजकिशोर राम
पेशेवर कंपनी सचिव

113ए, ए.जे.सी. बोस रोड
5वीं मंजिल, कमरा नं.5/6
कोलकाता-700014, पश्चिम बंगाल
मोबाइल नं.9903880503
ईमेल: csrkr@gmail.com

‘अनुलग्नक - क’

(31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन)

सेवा में,

सदस्यगण

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

1/315, गरियहाट रोड

कोलकाता-700068, पश्चिम बंगाल

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त तिथि पर मेरा सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेख के रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। मेरा दायित्व है कि कंपनी के आकार के अनुसार बोर्ड की विधि तथा अनुपाल प्रबंधन प्रणाली के पर्याप्त होने के बारे में, उक्त लेखा-परीक्षण के दौरान मुझे उपलब्ध कराए गये सचिवीय रिकार्डों एवं अधिकारियों तथा कंपनी के एजेंटों द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करूँ।
2. मैंने अपनी जानकारी में यथा-उपयुक्त लेखा-परीक्षण विधि का प्रयोग किया है, जिससे सचिवीय रिकार्डों की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन एवं सटीकता प्राप्त कर सकूँ। इनका सत्यापन परीक्षण स्तर पर किया गया है ताकि इस बात की जाँच हो सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। मेरा मत है कि मेरे द्वारा अनुपालित विधि एवं प्रणाली मेरे मत के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है।
3. मैंने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय रिकार्डों, खाता-बहियों एवं कम्पनी के बोर्ड एवं विभिन्न समितियों द्वारा लिए गये निर्णयों की सत्यता, उपयुक्तता एवं आधार की जाँच नहीं की है। मैंने बोर्ड की विधि एवं अनुपालन की विधि की जाँच की है ताकि मैं इस बारे में अपना मत बना सकूँ कि उपरोक्त प्रतिवेदन में सदर्भित कंपनी अधिनियम 2013 तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के प्रावधानों के अनुसार क्या बोर्ड की समितियाँ, कंपनी के सदस्यों एवं अन्य प्राधिकारियों से अनुमोदन लेने हेतु पर्याप्त विधि स्थापित है कि नहीं।
4. आवश्यकतानुसार, मैंने प्रभावी कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों आदि के अनुपालन के विषय में प्रबंधन के मत प्राप्त किये हैं। पर प्रबंधन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि यह कम्पनी एस आई सी ए, 1985 की धारा (3) की उप-धारा (1) के अनुच्छेद 'ओ' के तहत एक विमार औद्योगिक कंपनी बन गई है तथा यह कम्पनी बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रीकांस्ट्रक्शन (बी आई एफ आर) के तहत सन 2002 में केस सं. 505/2002 द्वारा पंजीकृत है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.09.2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को बंद करने की स्वीकृति प्रदान की है। 'इसके अलावा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाजार में कोई भी फ्लोटिंग शेयर उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास आज की तारीख में कंपनी की 100% हिस्सेदारी है।'

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

5. नैगम एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों अधिनियमों, मानदण्डों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। मेरा परीक्षण केवल अनुपालन विधियों के सत्यापन तक ही सीमित रहा है।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षण ना तो कंपनी के भविष्य में सफल होने का आश्वासन है, ना ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के प्रचालन की दक्षता या प्रभावकारिता का आश्वासन है।

राजकिशोर राम

पेशेवर कंपनी सचिव

ए सी एस सं. 22447, सी पी सं. 16589

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 14 सितम्बर 2024



सत्यमेव जयते

गति डाक/गोपनीय

संख्या: 387/Co-ordn./01-04 (H Cables)/2024-25

No.

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान) का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001
1, COUNCIL HOUSE STREET, KOLKATA-700 001

दिनांक / Dated: 16 OCT 2024

सेवा में

The Chairman and Managing Director,
Hindustan Cables Limited,
167/A, Ajoy Nagar (5th Road)
Kolkata 700075

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Hindustan Cables Limited के वर्ष 2023-24 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2023-24 के लिए Hindustan Cables Limited की लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

अनु: यथोपरि।

भवदीय,
अनिन्द्य दासगुप्ता
(अनिन्द्य दासगुप्ता)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता



भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार निर्दिष्ट संरचना के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक, धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर, अधिनियम की धारा 143 (10) के अनुसार निर्दिष्ट खाता-परीक्षण के मानदण्डों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा-परीक्षण के आधार पर अपना मत प्रकाशित करने के उत्तरदायी होंगे। यह बताया गया है कि उनके संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 19 अगस्त, 2024 के तहत उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के पक्ष से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण स्वतंत्रतापूर्वक, लेखा-परीक्षकों के कागजातों की सहायता लिए बिना किया गया तथा यह प्राथमिक स्तर पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तक ही सीमित था तथा साथ ही कुछ खाता-रिकॉर्डों का चुनिंदा परीक्षण किया गया।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कोई महत्वपूर्ण मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक को बढ़ावा दे।

कृते - भारत के लेखा नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

(अर्निद्य दासगुप्ता)

प्रधान निदेशक लेखा (माइंस)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 16 अक्टूबर, 2024

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच सी एल)
वैधानिक लेखा परीक्षक के अवलोकन के लिए कंपनी की व्याख्या

क्र.सं.	सांविधिक लेखा-परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब (ड्राफ्ट)
1.	<p>कंपनी को बंद करने के लिए 28 सितंबर, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के मद्देनजर, लेखांकन के परिसमापन आधार का पालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जिसके अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों को वहन राशि और संबंधित वसूली योग्य मूल्य में से कम पर दिखाया जाना चाहिए। भूमि और भवनों के अलावा कुछ परिसंपत्तियां हैं जिन्हें लागत घटा मूल्यह्रास पर रखा गया है, जिनका वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, कम वसूली योग्य मूल्य के कारण पता लगाने योग्य नहीं है।</p>	<p>सभी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिनमें PPE की लागत का लगभग 97% हिस्सा शामिल है, सिवाय कुछ चल संपत्तियों जैसे कि फर्नीचर/फिक्सचर और कंप्यूटर जो वर्तमान में उपयोग में हैं। फर्नीचर और फिक्सचर लगभग 5% मूल्य पर पहुँच चुके हैं।</p> <p>जबकि कंप्यूटर बहुत पहले ही 5% मूल्य पर पहुँच चुके हैं और ये अभी भी काम करने योग्य हैं। हमारी राय में फर्नीचर/फिक्सचर और कंप्यूटर के गैर-पुनर्मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव नगण्य है।</p>
2.	<p>संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत 285,69,789.43 सौ रुपये की परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट में गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया जाना जारी है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीने बाद परिसंपत्तियों की वसूली की उम्मीद है। हालाँकि, समापन आदेश के बाद, कंपनी की परिसंपत्तियां प्रभावी रूप से बिक्री के लिए रखी गई हैं और तदनुसार, अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों की पहचान की जानी चाहिए और तुलन-पत्र में चालू परिसंपत्तियों के तहत उनका खुलासा किया जाना चाहिए। ऐसी कार्यवाही के अभाव में, चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत जिन परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाना आवश्यक है, उनका मूल्य पहचाना नहीं जा सकता।</p>	<p>किसी भी PPE का 12 महीने की अवधि के भीतर निपटान होने की संभावना नहीं है और इसलिए उन्हें गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में दिखाया गया है।</p>



<p>3</p>	<p>जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 6 में बताया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में जमीन वापस करने के लिए एक पुनर्गृहण नोटिस जारी किया है। कंपनी ने उक्त आदेश को अदालत में चुनौती दी है और उक्त जमीन पर कब्जा बरकरार रखा है।</p> <p>पुनर्गृहण आदेशों के मद्देनजर कंपनी ने अगस्त 2018 से 28,36,759 रुपये की राशि को छोड़कर उक्त भूमि के लिए संपत्ति कर की देयता को मान्यता नहीं दी है। आंध्र प्रदेश सरकार के संबंधित कर पोर्टल में दिखाए गए कर मांगों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक अर्जित शेष देयता रु.4,08,578 सौ रुपये की है जिसे पुस्तकों में देय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, इसके बजाय इसे आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।</p>	<p>चूंकि विचाराधीन भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी तथा कंपनी को निःशुल्क दी गई थी तथा अब राज्य सरकार ने उसे पुनः प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए कंपनी को सम्पत्ति कर के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पुनः अधिग्रहण आदेश जारी हो चुका है।</p>
<p>4</p>	<p>जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 6 में बताया गया है, चालू अवधि में कंपनी ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के निर्देशानुसार अपने गोल्फ लिंक फ्लैटों को उन परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य पर बेच दिया है। जबकि आयकर अधिनियम 1962 की धारा 45(5) के प्रावधानों के मद्देनजर, यह संभावना नहीं है कि कंपनी के पास इस प्रकार से निपटाए गए परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर पूंजीगत लाभ कर देयता होगी, प्राधिकृत द्वारा एक अलग दृष्टिकोण लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि उक्त निर्देश के आलोक में यह विवादास्पद है।</p>	<p>कंपनी ने भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रश्नगत फ्लैटों को एक सहयोगी सी.पी.एस.ई (एन.एम.एल.सी) को बेच दिया। खरीद के पंजीकरण के लिए एन.एम.एल.सी द्वारा कोई स्टाम्प शुल्क नहीं दिया गया क्योंकि दोनों ही सीपीएसई हैं तथा एच.सी.एल.केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार बंद होने की स्थिति में है।</p> <p>चूंकि वास्तविक बिक्री लेनदेन भारत सरकार के निर्देशानुसार दो पूर्ण स्वामित्व वाली सी.पी.एस.ई के बीच बुक वैल्यू पर हुआ है, इसलिए पूंजीगत लाभ की कोई संभावना नहीं है।</p>
<p>5</p>	<p>नोट 17 में निर्धारित आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, आकस्मिक देनदारियों के प्रत्येक वर्ग का संक्षिप्त विवरण और प्रत्येक देयता की अनिश्चितताओं की सीमा को पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया है, जैसा कि प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर लेखांकन मानक 29 द्वारा अपेक्षित है।</p>	<p>प्रत्येक आकस्मिक देयता का संक्षिप्त प्रकार प्रकट किया गया है। नोट में कहा गया है कि किसी भी मामले में नकद बहिर्वाह की परिकल्पना नहीं की गई है तथा प्रतिपूर्ति की कोई संभावना नहीं है।</p> <p>ऐसे कई न्यायालयीन मामले हैं जिनके विरुद्ध आकस्मिक देयता बनाई गई है। उन आकस्मिक देयताओं की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है तथा सभी मामलों के लिए लेखा परीक्षक को दिखाया गया है। हालांकि, खातों में केस-वार विवरण का खुलासा करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े होंगे।</p>

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

6	<p>अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 12ए) के तहत दर्शाई गई रु. 118841.61 सौ की जीएसटी क्रेडिट राशि का प्रबंधन द्वारा पूर्ण प्रावधान किया गया है और संबंधित प्रावधान को उक्त अन्य चालू परिसंपत्ति से कटौती के माध्यम से प्रावधान दिखाने के बजाय अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) के तहत अलग से प्रकट किया गया है।</p>	<p>जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान सी एंड एजी द्वारा दिए गए निर्देश और कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान सी एंड एजी को दिए गए वचन के अनुसार बनाया गया है।</p> <p>प्रावधान को सी एंड एजी के लिए दृश्यमान बनाने और वित्तीय नियंत्रण उद्देश्य के लिए शीर्ष पृष्ठ पर इसे पहचानने योग्य बनाने के लिए, इसे नोट संख्या 8 पर रखा गया है।</p>
7	<p>इसके अलावा, आयकर का भुगतान रु. 1,228,050.19 सौ (स्रोत पर कटौती किए गए आयकर सहित) को अल्पावधि ऋण और अग्रिम (नोट 11) के तहत दिखाया गया है और रु. 1,175,336.84 सौ की सीमा तक संबंधित देयता को उक्त अल्पावधि ऋण और अग्रिम से कटौती के माध्यम से देयता राशि दिखाने के बजाय अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) के तहत दिखाया गया है।</p>	<p>वि. वर्ष 2019-20 के आयकर मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, रु. 1175336.84 सौ का पूंजीगत लाभ समायोजित किया जाएगा। आयकर अग्रिम में शेष राशि मूल्यांकन पूरा होने के बाद समायोजित की जाएगी।</p> <p>वित्तीय नियंत्रण उद्देश्य के लिए आंकड़े को पता लगाने योग्य और दृश्यमान रखने और आसान पहचान के लिए इसे शीर्ष शीट पर दिखाया गया है।</p>



फ़ोन : 2213 -2929
2213-2930
3554-8652

गुहा, नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कॉमर्स हाउस, 5वीं मंज़िल, कमरा 8डी और ई
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू, कोलकाता - 700013

ईमेल : guhanandi@gmail.com

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

वित्त वर्ष -2023-24 हेतु स्टैण्डालोन वित्तीय विवरण के लेखा पर प्रतिवेदन

योग्य मत

हमने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (कंपनी) के संलग्नित स्टैण्डालोन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक के वर्ष का तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और वित्तीय विवरण के नोट्स के माध्यम से अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त स्टैण्डालोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं तथा कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी के मामलों की स्थिति, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत के आधार :

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षिक करते हैं कि :

1. कंपनी को बंद करने के लिए दिनांक 28 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के मद्देनजर, लेखांकन के परिसमापन आधार का पालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जिसके अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों को वहन राशि और संबंधित वसूली योग्य मूल्य में से कम पर दिखाया जाना चाहिए। कुछ परिसंपत्तियाँ (भूमि और भवन के अलावा) हैं जिन्हें लागत घटा मूल्यह्रास पर रखा गया है, जिसका वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, कम वसूली योग्य मूल्य के कारण पता लगाने योग्य नहीं है।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत रु. 285,69,789.43 सौ की परिसंपत्तियाँ तुलन-पत्र में गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाई जाती हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों से परे परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की उम्मीद करती है। हालाँकि, बंद करने के आदेश के बाद, कंपनी की परिसंपत्तियाँ प्रभावी रूप से बिक्री के लिए रखी गई हैं और तदनुसार, अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों की पहचान की जानी चाहिए और तुलन-पत्र में चालू परिसंपत्तियों के तहत उनका खुलासा किया जाना चाहिए। ऐसी कार्यवाही के अभाव में, चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत जिन परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाना आवश्यक है, उनका मूल्य पहचाना नहीं जा सकता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

- 3) जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 6 में उल्लेख किया गया है, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भूमि वापस करने के लिए पुनर्गृहण आदेश जारी किए हैं। कंपनी ने उक्त आदेशों को कानून की अदालत में चुनौती दी है और उक्त भूमि पर कब्जा बनाए रखा है।

पुनर्गृहण आदेशों के मद्देनजर, कंपनी ने अगस्त 2018 से उक्त भूमि के लिए संपत्ति कर की देयता को मान्यता नहीं दी है, सिवाय रु. 28,367.59 सौ की राशि के। तेलंगाना सरकार के संबंधित कर पोर्टल में दर्शाई गई कर मांगों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक अर्जित शेष देयता रु. 4,08,578 सौ की राशि को देय के रूप में पुस्तकों में मान्यता नहीं दी गई है, इसके बजाय कंपनी ने इसे आकस्मिक देयता के तहत दिखाया है।

4. जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 6 में उल्लेख किया गया है, वर्तमान अवधि में, कंपनी ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के निर्देशानुसार अपने गोल्फ लिंक फ्लैटों को बुक वैल्यू पर बेचा है। आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 45 (5) के प्रावधानों के मद्देनजर, यह संभावना नहीं है कि कंपनी के पास इस प्रकार से निपटारे गए परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य के आधार पर पूंजीगत लाभ कर देयता होगी, लेकिन प्राधिकारी द्वारा एक अलग दृष्टिकोण अपनाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि उक्त निर्देश के आलोक में इस पर विवाद हो सकता है।

- 5 नोट 17 में निर्धारित आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, आकस्मिक देयताओं के प्रत्येक वर्ग का संक्षिप्त विवरण और प्रत्येक देयता की अनिश्चितताओं की सीमा को प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर लेखांकन मानक 29 द्वारा अपेक्षित रूप से पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया है।

6. अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 12ए) के तहत दिखाए गए रु. 1,18,841.61 सौ के जीएसटी क्रेडिट का प्रबंधन द्वारा पूर्ण प्रावधान किया गया है और संबंधित प्रावधान को उक्त अन्य चालू परिसंपत्ति से कटौती के माध्यम से प्रावधान दिखाने के बजाय अल्पकालिक प्रावधानों (नोट 8) के तहत अलग से प्रकट किया गया है।

7. इसके अलावा, आयकर का भुगतान रु.1,228,050.19 सौ (स्रोत पर कटौती किए गए आयकर सहित) को अल्पावधि ऋण और अग्रिम (नोट 11) के तहत दिखाया गया है और रु.1,175,336.84 सौ की सीमा तक संबंधित देयता को उक्त अल्पावधि ऋण और अग्रिम से कटौती के माध्यम से देयता राशि दिखाने के बजाय अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) के तहत दिखाया गया है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एस ए एस) पर मानदण्ड के अनुसार स्टैंडालोन वित्तीय लेखों के हमारी लेखा परीक्षा संचालित किये हैं। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडालोन वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी किये गये आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं साथ-साथ अधिनियम तथा इसके तहत बनाये गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडालोन वित्तीय लेखों का हमारे लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आई सी ए आई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि लेखा सबूत जो हमने प्राप्त किये हैं हमारे योग्य मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



मामलों पर जोर

1. हम नोट 1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि कंपनी को बंद करने के लिए दिनांक 28 सितंबर, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, लेखांकन के परिसमापन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और कंपनी निर्देशानुसार परिसमापन/समापन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है।
2. सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी की सभी गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण आयोग (एनएलएमसी) को ब्रुक वैल्यू पर हस्तांतरित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 23 अगस्त, 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.डीपीई/11/(09)-2022-डीडी जारी किया। भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 9-01(1)/2020-पीई-II(ई/21334) दिनांक 15 फरवरी, 2023 में कुछ परिसंपत्तियों के निपटान के संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में निहित उक्त निर्देशों से भी अवगत कराया।

उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों के बाद, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को रूपनारायणपुर में भूमि और आवासीय भवनों का पुनर्मूल्यांकन किया (नोट 6 देखें) और इसे 31 मार्च 2024 तक ऐसी पुनर्मूल्यांकित राशियों पर पुस्तकों में दर्ज किया गया है, जिसे उक्त कार्यालय ज्ञापनों के उद्देश्य के लिए पुस्तक मूल्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे ऐसे पुनर्मूल्यांकन की तारीख से पहले जारी किया गया था। तदनुसार, 31 मार्च 2024 तक पुनर्मूल्यांकन वृद्धि में शेष राशि (शुद्ध मूल्यह्रास) रु..280,41,387.12 सौ को वापस करना पड़ सकता है, यदि पुनर्मूल्यांकित राशि को पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अर्थ में बही मूल्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।
3. जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 12ए में उल्लेख किया गया है, वर्तमान में न्यायनिर्णयन के अधीन कुछ लेनदारों के विवादित दावों के मामले में न्यायालय के आदेशों के बाद अधिकारियों के पास कुल रु. 10, 67,590.00 सौ रुपये जमा किए गए हैं (नोट 26 और 27 देखें)। उक्त जमाराशियों के विरुद्ध कोई देयता मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रबंधन अनुकूल न्यायालय निर्णयों के विरुद्ध समय के साथ वापसी के लिए जमाराशियों पर विचार करता है।
4. हम नोट 23 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें रु.. 1,53,92,086.24 सौ की राशि शेयर आवेदन राशि के रूप में दर्शाई गई है, जो उक्त नोट में दिए गए समाधान के आधार पर भारत सरकार को शेयरों के आवंटन के लिए लंबित है। उक्त शेयर आवेदन राशि के विरुद्ध शेयरों का निर्गमन वित्तीय वर्ष 2016-17 से लंबित है, जिसका प्रभाव यदि कोई है तो उसका पता नहीं लगाया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडालोन वित्तीय विवरण के अलावा अन्य जानकारी तथा उस पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

कंपनी का निदेशक मंडल दूसरी सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक, नैगमिक अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडालोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडालोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा मत अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और उस पर हम किसी भी तरह के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडालोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को अध्ययन करने के लिए है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडालोन वित्तीय विवरण के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्य जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम मानते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की सूचना देना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडालोन वित्तीय लेखों के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडालोन वित्तीय लेखों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताये गये मामलों के लिए जिम्मेदार हैं कि लेखांकन मानदण्ड तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय संपादन तथा नकद प्रवाह की एक सच्ची एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दे। यह जिम्मेदारी भी कंपनी के परिसंपत्तियों के सुरक्षा हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं आवेदन, निर्णय करना तथा आकलन करना सम्मिलित है जो उचित एवं विवेकपूर्ण है तथा समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो लेखांकन रिकार्ड के शुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे, स्टैंडालोन वित्तीय लेखों की तैयारी तथा प्रस्तुती के संबंध में है कि एक सच्ची एवं अनुकूल दृष्टिकोण दे तथा ठोस गलतबयानबाजी से मुक्त हो, चाहे जालीसाली या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडालोन वित्तीय लेखों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने के लिए चालू प्रतिष्ठान के संबंध में खुलासे, जैसा लागू है, मामले के लिए तथा लेखांकन के आधार पर चालू प्रतिष्ठान का उपयोग करने हेतु जिम्मेदार हैं जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी के समापन या परिचालन को बंद करने के इच्छुक हैं या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। वर्तमान मामले में, इन वित्तीय विवरणों के नोट 1 में दिए गए कारणों से लेखांकन के परिसमापन आधार का अनुसरण किया गया है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैण्डालोन वित्तीय लेखा एक पूर्ण रूप से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, और एक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

एस ए एस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानने और उनका मूल्यांकन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, उन जोखिमों के लिए प्रभावी लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन और संपादन करना, और प्राप्त लेखा सबूत जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की उल्लंघन शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के क्रम में लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्थान या इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है- परिशिष्ट-क में विवरण
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के आधार चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित एक ठोस अनिश्चितता मौजूद है या जो चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, और हमने अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय लेखों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित किया है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा सबूत पर आधारित हैं
- स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री सहित खुलासे का मूल्यांकन करें, कि क्या स्टैण्डालोन वित्तीय लेखा अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होता है।

भौतिकता स्टैण्डालोन वित्तीय लेखों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय लेखों के एक यथोचित जानकार उपभोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय लेखों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।



हम उन लोगों को सूचित करते हैं जिनपर अभिशासन संबंधी, अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ आरोप लगे हैं, सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियां, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिनपर एक बयान के साथ अभिशासन में आरोप लगे हैं जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उनके सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता का वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम है, हमारे लेखा-परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) उपरोक्त मामले पर जोर अनुच्छेद के अध्ययन के साथ उपरोक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार से, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार खातों की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अब तक रखी गई है जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - ग) इस प्रतिवेदन द्वारा दी गई तुलन-पत्र, लाभ और हानि का लेखा और नकद प्रवाह के लेखे का खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ अनुबंध में है।
 - घ) उपरोक्त मामले पर जोर अनुच्छेद के अध्ययन के साथ उपरोक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार से, पूर्वोक्त स्टैंडालोन वित्तीय लेखे का अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन करते हैं।
 - ङ) कंपनी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट 'अनुलग्नक क' में देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है सिवाय इसके कि उक्त अलग रिपोर्ट में कहा गया हो।



- छ) हमने लेखा-परीक्षा के संचालन करते समय अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के साथ अनुपालन किया है और कंपनी द्वारा इस संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, इस रिपोर्ट में 'अनुलग्नक ग', में इस तरह के निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान दिये हैं।
- ज) कंपनी (लेखा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के विनियम 11 के यथा संशोधित अनुसार लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दिये गये हमारी सर्वोत्तम तथा स्पष्टीकरण के अनुसार है :
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मामलों का खुलासा किया है जैसा कि वित्तीय विवरण के द्रष्टव्य सं. 17 में कहा गया है।
 - कंपनी ने कोई दीर्घावधि अनुबंध सहित योगिक अनुबंध नहीं किया है जिसके लिए किसी मामले में निकटतम हानि होते।
 - कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष में किसी रकम का हस्तांतरित होने वाला कोई रकम नहीं है।
 - प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी या सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।
 - प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।
 - हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त खंड (iv) और (v) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
 - वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का अनुपालन वर्ष के लिए लागू नहीं था।
 - कंपनी अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।



- 2 अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन) आदेश, 2020 (द आर्डर) द्वारा जैसा कि अपेक्षित है के अनुसार हमने आर्डर के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक वक्तव्य 'अनुलग्नक ख' में दिये हैं।

कृते गुहा, नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखापालक
(एफआरएन. : 302039ई)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGGDF9099
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19.08.2024

(स्यामसुंदर रॉय)
साझेदार
सदस्यता सं. 053569

अनुलग्नक - 'क' कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन

हमने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का, कम्पनी के स्टैण्डालोन वित्तीय विवरणों सहित हमने लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन के दायित्व

कंपनी के प्रबंधन पर इस्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण हेतु जारी निर्देश टिप्पणी में दिये गये महत्वपूर्ण अंशों के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों के मानदण्ड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का दायित्व होता है। इन दायित्वों के तहत ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उपायों की रचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव करना होता है, जो कि व्यापार के सुगमतापूर्वक एवं प्रभावकारिता सहित प्रचालन को सुनिश्चित करे तथा कंपनी की नीतियों, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों से बचाव एवं पहचान, खाता लिखित रिकॉर्डों की सटीकता एवं सम्पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं के समयानुसार प्रकाशन को सुनिश्चित करे, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आवश्यक हैं।

लेखा-परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत प्रकट करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया है, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है। ये मानदण्ड एवं निर्देश टिप्पणी, जिनका हम अनुपालन करते हैं, लेखा-परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के माध्यम से उचित आश्वासन देते हैं कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं रखा गया और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रिक मामलों में प्रभावी तरीके से प्रचालित हुए हैं।

हमारा लेखा-परीक्षण कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने हेतु विधियों का निष्पादन करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक नियंत्रण को बनाना एवं प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है। इस क्रम में प्रयुक्त विधि का चुनाव लेखा-परीक्षण के निर्णय के अनुसार होता है, जो कि वित्तीय विवरणों के सामग्रिक गलत बयानी के जोखिम, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न, सहित अनेक मुद्दों पर विचार कर किया जाता है।



हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तात्पर्य

किसी कम्पनी का वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी विधि है, जिसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के बारे में सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन सिद्धांतों के अनुसार पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो सके। किसी कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत वो नीतियाँ एवं विधियाँ होती हैं, जो कि (1) रिकॉर्डों के रख रखाव, कंपनी के लेनदेन एवं संपत्तियों के बारे में पर्याप्त विवरण एवं सटीकता सहित हों; (2) इस बारे में यह आश्वासन दें कि वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक लिखे गये लेनदेन के विवरण सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन मानदण्डों के अनुसार है तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्ययों को कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत तरीकों से ही किया जाता है; एवं (3) किसी भी प्रकार की अनाधिकृत प्राप्तियों या कम्पनी की संपत्तियों की बिक्री के निरोध या समयानुसार पहचान के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे, जो कि वित्तीय विवरणों पर सामग्रिक प्रभाव डाल सकती हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त (तथा इसलिए संचालन प्रभावशीलता) पर योग्य मत

हमें दिये गये जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे लेखा-परीक्षा पर आधारित, निम्नलिखित सामग्री की कमजोरियों को 31 मार्च, 2024 तक पहचान की गयी :

- क) उचित अवधि में व्ययों की पहचान करने में आंतरिक नियंत्रण में अपर्याप्तता पाई गई, जिसके कारण चालू वर्ष में कुछ व्ययों को पूर्व अवधियों से संबंधित के रूप में प्रकट किया गया कृपया इन वित्तीय विवरणों के नोट 15 (सी) का संदर्भ लें।
- ख) प्रत्येक ऐसे दायित्व के संबंध में अनिश्चितताओं की सीमा और प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर एएस 29 के अनुपालन में प्रकटीकरण सहित ऐसे किसी भी दायित्व के संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए इन वित्तीय विवरणों के नोट 17 में निर्धारित विवादित देनदारियों की समीक्षा के मामले में सुधार की गुंजाइश पाई गई।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

ग) जैसा कि मामले पर जोर देने के तहत पैरा 2 में कहा गया है, रूपनारायणपुर में कंपनी की भूमि और आवासीय भवन पुनर्मूल्यांकित राशि पर रखे गए हैं, जो कि इसमें बताए गए कारणों से परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।

घ) कंपनी का संचालन पंद्रह वर्षों से अधिक समय से निलंबित है और सभी कर्मचारी कंपनी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए कोई औपचारिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक सामग्री कमजोरी एक कमी या एक कमियों का संयोजन है, जो कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरण के ठोस गलत बयानबाजी समय आधार पर ना तो रोका या ना ही पता लगाया जाएगा।

हमारे विचार में, नियंत्रण मानदण्ड के उद्देश्य के उपलब्धों पर उल्लेखित ठोस कमजोरियों के संभावित प्रभाव के अलावा, कंपनी बनाये रखा है, सभी सामग्री के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को प्रभावी रूप से परिचालित थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियां ऊपर (बी) में बताई गई मद को छोड़कर कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते गुहा, नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखापालक
(एफआरएन. : 302039ई)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGDF9099
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19.08.2024

(स्यामसुंदर रॉय)
साझेदार
सदस्यता सं. 053569



लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक - ख

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैण्डालोन वित्तीय विवरण पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन में संदर्भित अनुलग्नक, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

- (i) क) कंपनी ने अचल संपत्तियों (संपत्ति संयंत्र और उपकरण) के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं;
- ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। हालाँकि, ऊपर उल्लिखित अचल संपत्तियों के उचित रिकॉर्ड के अभाव में विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका।
- ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर हैं।
- घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, कंपनी बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई बेनामी संपत्ति नहीं रखती है।
- (ii) कंपनी के पास लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान कोई सूची नहीं है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ग्रांटेड कोई ऋण या ऋण स्वरूप में अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है। परिणामस्वरूप, आदेश के पैराग्राफ 3(iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, अग्रिम कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है या दूसरों को कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (v) कंपनी ने जमाराशि या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमाराशि माना जाता है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(vi) कंपनी की विनिर्माण गतिविधि लंबे समय से बंद है और भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, इसलिए कोई लागत रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है।

(vii) a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, कर्मचारी राज्य बीमा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर या अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती / अर्जित राशि आमतौर पर कंपनी द्वारा उचित प्राधिकारियों के पास इस अवधि के दौरान नियमित रूप से जमा की गई है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक कोई भी अविवादित वैधानिक बकाया नहीं था, जिसमें भविष्य निधि, आयकर, मूल्य वर्धित कर या अन्य भौतिक वैधानिक बकाया शामिल था, जो देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया था।

b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक विवाद के कारण कंपनी द्वारा निम्नलिखित बकाया राशि जमा नहीं की गई है:

क्रम संख्या	विधि	बकाया की प्रकृति	फोरम	राशि (सौ रुपये में)	वर्ष
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस पर आधारित अतिरिक्त मांग	सीआईटी (अपील)	12,000	2013-14
2	आयकर अधिनियम 1961	आयकर अग्रिम व्यावसायिक हानि पर विचार न करने के कारण अतिरिक्त मांग	सीआईटी (अपील)	161,49,000	2017-18
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर एक ही आय के लिए दो बार विचार की गई अतिरिक्त मांग	सीआईटी (अपील)	99,33,000	2020-21
4	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	धारा 7 क्यू के तहत ब्याज और धारा 14बी के तहत क्षति का करोपण	ईपीएफओ इलाहाबाद	13,500	अप्रैल 2013 से जनवरी 2017
5	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955	तेलंगाना सरकार को देय हैदराबाद भूमि के संबंध में संपत्ति कर		4369 47.59	2018-19

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट



इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार उत्पाद शुल्क के संबंध में निम्नलिखित विवादित देनदारियाँ बकाया हैं। बकाया राशि की प्रकृति और संबंधित राशियों का विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका। नीचे उल्लिखित राशियाँ पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खातों के अनुसार हैं:

क्र. सं.	कानून	बकाये के प्रकार	फोरम	रु. सैकड़ों में	वर्ष
1.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय	114,440	1981
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	बोलपुर के कमीशनरी	80,970	1988-89 1991-92 1992-93
3	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	आसनसोल के सहायक कमीशनरी	38,320	1986-87 1990.-91 2000-01 2001-02
4.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	दुर्गापुर के सहा. कमीशनरी	1,190	1995-96

- (viii) ऐसे कोई लेन-देन नहीं हैं जिन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया है।
- (ix) कंपनी के पास किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, अन्य उधारदाताओं से कोई ऋण या उधार नहीं है, या वर्ष के दौरान किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं होता है।
- (x) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया, या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमानीय आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया। इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(x) लागू नहीं होता है।



- (xi) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है, न ही कंपनी द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।
- (xii) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं धारा 188 के अर्थ में किसी भी पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है;
- (xiv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया है।
- (xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष में 3,16,013.26 सौ रुपये की नकद हानि उठाई है। कंपनी ने तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं उठाई थी।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xix) जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 1 में कहा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है और कंपनी वर्तमान में समापन प्रक्रियाओं के तहत है। तदनुसार, आदेश का खंड (xix) जो एक परिचालन कंपनी के लिए लागू है, कंपनी की अपनी वर्तमान स्थिति के तहत लागू नहीं है।
- (xx) कंपनी पर अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्व नहीं है और तदनुसार आदेश का खंड (xx) लागू नहीं होता।
- xxi) हिंदुस्तान केबल लिमिटेड एक स्टैण्डालोन कंपनी है और कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए ऑर्डर का खंड (xxi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते गुहा, नंदी एंड कंपनी

सनदी लेखापालक

(एफआरएन. : 302039ई)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGGDF9099

स्थान : कोलकाता

(स्यामसुंदर रॉय)

साझेदार

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग'

वित्त वर्ष 2023-24 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा निर्देशों पर प्रतिवेदन।

1. क्या कंपनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।

हां, सभी अकाउंटिंग लेन-देन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालांकि, जैसा कि हमें बताया गया है, ऐसे ऑपरेशन/लेन-देन हैं जो सिस्टम के बाहर होते हैं और जिनका कंपनी के खातों पर असर पड़ता है, जिन पर उचित रूप से विचार किया गया है।

विगत प्रथा के अनुसार, सभी लेनदेन मैन्युअल रूप से सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं जो खाते की नियमित पुस्तकों को बनाए रखता है।

मौजूदा प्रथा के अनुसार, कुछ लेन-देन लेखांकन लेनदेन के प्रवाह के रूप में लेखा चूक जाने की संभावना है, लेनदेन से जनित विषय पर स्वचालित नहीं है। आई टी प्रणाली के बाहर लेनदेन के वित्तीय निहितार्थ यदि कोई हों, तो पता नहीं लगाया जा सकता है।

2. क्या मौजूद ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ब्याज आदि को माफी/बट्टे खाते में डालना है जिसे कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी के लिए ऋणदाता द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण और उस पर ब्याज की पुनर्रचना नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल प्रतिलेखन की छूट है।

3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त योग्य धनराशि का इसके नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

जैसा कि स्पष्ट किया गया है, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी खाते में केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई।

कृते गुहा, नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखापालक
(एफआरएन. : 302039ई)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGGDF9099
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19.08.2024

(स्यामसुंदर रॉय)
साझेदार
सदस्यता सं. 053569



एक झलक में पिछला दस वर्ष

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	वार्षिक लेन-देन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	शुद्ध लाभ	(447.28)	1573.83	8838.84	26956.07	1388.60	5185.59	70616.45	234846.15	(99411.81)	(93299.45)
3	सकल ब्लॉक	30638.61	2563.71	2563.71	2563.71	2563.71	2596.95	5321.38	45742.21	47425.26	47429.81
4	मूल्यांकन प्रावधान	2068.82	1977.55	1948.02	1917.47	1886.47	1883.87	4362.36	42925.09	44151.43	43676.65
5	शुद्ध ब्लॉक	*28569.79	*28740.94	615.68	646.23	677.24	712.08	959.02	2817.12	3273.83	3753.16
6	शुद्ध चालू परिसंपत्ति कार्यकारी पूंजी	4384.55	6745.22	5141.00	(1311.57)	(33042.20)	(32179.21)	(37611.74)	(93417.65)	(115791.95)	(105487.63)
7	नियोजित पूंजी	32954.34	35486.16	5756.69	(665.33)	(30078.52)	(31467.13)	(36652.72)	(90600.53)	(112518.12)	(100724)
8	सुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	353788.27	306571.83
9	असुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	1487.87	328531.76	287022.72
10	शेयर पूंजी	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	41936.11	41936.11	41936.11
11	आरक्षित एवं अधिशेष	**33715.37	**33869.92	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674
12	संचित हानि	(500811.24)	(500363.96)	(501937.79)	(510776.63)	(537732.71)	(539121.32)	(544306.91)	(614923.37)	(849769.52)	(750372.31)
13	शुद्ध मूल्य	(8550.96)	(8101.85)	(9675.68)	(18514.52)	(45470.60)	(46859.21)	(52044.81)	(91756.77)	(802159.41)	(702762.31)
14	कर्मचारियों को सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	1333	1533

* टिप्पणी :

*परिसंपत्तियों के शुद्ध ब्लॉक का मूल्य (2022-23) एवं (2023-24) परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और बिक्री के कारण समायोजित किया गया

** टिप्पणी :

रिज़र्व और सरप्लस (2022-23) और (2023-24) में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व शामिल है

राष्ट्रीय कोष में अंशदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं	मद	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	बिक्री कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	सीमा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	वेतन और मजदूरी पर आयकर (उत्केशों और परामर्श सेवाओं पर टीडीएस और संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर सहित)	0.16	11.92	0.11	0.10	0.25
5.	दर एवं कर	0.35	0.00	0.37	0.38	0.38
6.	लाइसेंस शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	जी एस टी सहित जी एस टी टी डी एस	0.20	0.27	0.07	0.07	0.21
	कुल	0.71	12.19	0.55	0.55	0.84

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:
167/ए, अजयनगर, 5वीं रोड
कोलकाता-700075
सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

31 मार्च, 2024 को यथास्थिति तुलन-पत्र

	द्रष्टव्य सं	31 मार्च 2024 को यथा स्थिति (रु. सैकड़ों में)	31 मार्च, 2023 को यथा स्थिति (रु. सैकड़ों में)
क. इक्विटी एवं देयताएं			
1. शेयरधारकों का कोष			
(क) शेयर पूंजी	2	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
(ख) आरक्षित एवं आधिक्य	3	46,70,95,858.90	46,64,94,035.86
		1,94,92,253.54	2,00,94,076.64
2. शेयर अप्लिकेशन राशि लंबित आवंटन	23	1,53,92,086.24	1,53,92,086.24
3. गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	4	-	-
4. चालू देयताएं			
(क) लघुअवधि ऋण		-	-
(ख) व्यापार देय			
(i) सुक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम (एम एस एम ई) का कुल बकाया राशि	5	22,748.98	22,748.98
(ii) एम एस एम ई के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,500.00	1,500.00
(ग) अन्य चालू देयताएं	7	3,08,365.56	2,35,195.55
(घ) अल्पावधि प्रावधान	8	17,01,863.89	12,79,640.67
		20,34,478.43	15,39,085.20
कुल		3,69,18,818.21	3,70,25,248.08
ख. परिसंपत्तियाँ			
1. गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	6	2,85,69,789.43	2,87,40,943.65
(ख) गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12बी	19,30,000.00	19,30,000.00
		3,04,99,789.43	2,87,40,943.65
2. चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) प्राप्य व्यापार	9	शून्य	शून्य
(ख) नकद एवं नकद समतुल्य	10	39,98,903.08	42,99,390.43
(ग) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम राशी	11	12,29,893.93	12,44,127.46
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12ए	11,90,231.77	8,10,786.54
		64,19,028.78	82,84,304.43
कुल		3,69,18,818.21	3,70,25,248.08

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते गुरु, नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन. : 302039इ

(श्यामसुंदर राय)
साझेदार
(सदस्यता सं. -053569)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGGDF9099
स्थान:कोलकाता
दिनांक : 19.08.2024

के. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस
सलाहकार



पंजीकृत कार्यालय:
167/ए, अजयनगर, 5वीं रोड
कोलकाता-700075
सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

	द्रष्टव्य सं	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)
I. आय			
बिक्री (जीएसटी सहित)		शून्य	शून्य
अन्य आय	13	3,93,582.83	3,26,160.97
कुल राजस्व		3,93,582.83	3,26,160.97
II व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	14	-	-
अन्य व्यय	15	5,21,701.38	7,33,310.56
मूल्यह्रास	6	12,424.97	29,528.94
कुल व्यय		534,126.35	7,62,839.50
III असाधारण मद और कर से पहले लाभ/(हानि)		-1,40,543.52	-4,36,678.53
असाधारण मद	16 एवं 24	-3,352.71	20,14,574.96
आयकर के लिए प्रावधान (पिछले वर्षों से संबंधित)		-3,03,382.61	-4,062.24
IV कर के बाद वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		-4,47,278.84	15,73,834.18
प्रति शेयर आय - मूल और मंदित (रु.)	31	(0.01)	0.03
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		

संलग्नित टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।
उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते गृहा, नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन. : 302039ई

(श्यामसुंदर राव)
साझेदार
(सदस्यता सं. -053569)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGGDF9099
स्थान:कोलकाता
दिनांक : 19.08.2024

के. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस
सलाहकार

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
करायान और असाधारण मदों से पहले शुद्ध लाभ/हानि	(-) 447,278.84	15,73,834.18
इसके लिए समायोजन जोड़े/(घटाएं):		
मूल्यव्यास	12,424.97	29,528.94
वापस लिखी गई देनदारियाँ		36,796.85
बढ़े खाते में डाली गई संपत्तियाँ	-3,352.71	3,095.07
व्याज आय	-3,93,582.83	3,24,600.52
स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-19,80,873.17
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह	-8,31,789.41	-7,35,812.37
इसके लिए समायोजन:-		
व्यापार प्राप्तियों में हास/(वृद्धि)	0.00	0.00
ऋण और अग्रिम में हास/(वृद्धि)	14,233.53	-18,01,664.92
अन्य चालू संपत्तियों में हास/(वृद्धि)	-3,79,445.23	1,13,335.99
अल्पकालिक उधार में वृद्धि/(हास)	0.00	-40,296.85
व्यापार देय में वृद्धि/(हास)	0.00	125.00
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(हास)	73,170.01	14,041.98
प्रावधानों में वृद्धि/(हास)	422,223.22	2,99,541.90
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि/हास		-19,30,000.00
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन नकदी प्रवाह	-7,01,607.88	-40,80,729.27
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	ए -7,01,607.88	ए -40,80,729.27
2) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थाई संपत्तियों की खरीद	-383.00	
बेची/छोड़ी गई अचल संपत्तियाँ	4,568.00	
बढ़े खाते में डाली गई संपत्तियाँ	3,352.71	
प्राप्त व्याज	3,93,582.83	3,24,600.52
स्थाई संपत्तियों की बिक्री		13,020.00
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	बी 4,01,120.54	बी 3,37,620.52
3) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अग्रिम प्राप्त	0.00	0.0
शेयर आवेदन राशि वापस की गई	0.00	0.00
ऋण बैंक चुकाया	0.00	0.00
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी	सी 0.00	सी 0.00
शुद्ध वृद्धि/हास (-) नकद और नकद समकक्षों में (A+B+C)	-3,00,487.35	-37,43,108.75
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक)	42,99,390.43	80,42,499.18
नकद और नकद समकक्ष (समापन)	39,98,903.08	42,99,390.43

(नोट 10 में दर्शाए गए मद के अनुसार नकद और नकद समकक्षों द्वारा दर्शाया गया)
उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते गृहा, नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफआरएन. : 302039इ

(श्यामसुंदर रॉय)
साझेदार
(सदस्यता सं. -053569)
यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGDF0999
स्थान:कोलकाता
दिनांक : 19.08.2024

के. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस
सलाहकार



टिप्पणी 1 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) लेखांकन विधि

ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक लागत प्रथा के अंतर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने अपने खातों को चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर संकलित नहीं किया है। IND AS लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और इसकी शुद्ध संपत्ति 200 करोड़ रुपये से कम है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन के परिसमापन आधार को अपनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, HCL को बंद करने, इसके सभी कर्मचारियों को VRS/VSS की पेशकश करने और सभी परिसंपत्तियों के निपटान को मंजूरी दी। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के बाद 31.01.2017 को रिहा कर दिया गया और संयंत्र और मशीनरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुरूप निपटाया गया। उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत कंपनी को बंद करने की अनुमति 31.05.2017 को दी है। वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और एचसीएल निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रही है। एचसीएल अब बंद हो चुकी है और बिना किसी संयंत्र, मशीनरी या कर्मचारियों के गैर-संचालन चरण में है। वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बंद करने की मंजूरी की शर्त के अनुसार, डीएचआई द्वारा पत्र एफ. संख्या 1(13)/2003-पीई-II (वैल्यू X) दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया, बंद करने का कार्यान्वयन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई को बंद करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है। 28.09.2016 को, डीपीई दिशा-निर्देश ओएम संख्या डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग) दिनांक 07.09.2016 के अनुसार बीमार/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने के लिए प्रचलन में थे और यह कंपनी के लिए भी लागू है। दिनांक 07.09.2016 के उक्त दिशा-निर्देशों के बिंदु 14 और 15 के अनुसार, सभी देनदारियों का भुगतान करने के बाद परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को भारत की समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है और तत्पश्चात कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

ख) संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि को छोड़कर, पीपीई की लागत में इसकी खरीद मूल्य, परिसंपत्तियों को इसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की लागत और निर्माण/अधिग्रहण के लिए आस्थगित ऋण/उधार निधि से संबंधित वित्तपोषण लागत शामिल है, जो उपयोग के लिए उपलब्ध होने तक की अवधि के लिए है। स्थानारायणपुर में फैक्ट्री के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की गई भूमि का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1952-53 में निःशुल्क दिया गया था, जिसका आरंभिक मूल्य रु. 1530.00 (रु. सैकड़ों में)

था।

इसी तरह, हैदराबाद में फैक्ट्री के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त में दी गई जमीन का मूल्य 300.00 (रु. सैकड़ों में) रुपये की मामूली कीमत पर आंका गया।



इन भूमियों का मूल्यांकन पूंजीगत आरक्षित खाते में उचित जमा के साथ किया गया है।

वर्ष 2022-23 के अंत में, स्थानारायणपुर/कोलकाता के गेस्ट हाउस में भूमि और भवनों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में उचित जमा किया गया।

सी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन

लेखांकन के परिसमापन आधार के कार्यान्वयन के लिए, वहन राशि पर बताया जाना आवश्यक है। तदनुसार, परिसंपत्तियों को जहां भी लागू हो, परिसंपत्तियों को वहन राशि पर बताया जाता है। पुनर्मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए पिछले वर्ष पुनर्मूल्यांकन आरक्षित बनाया गया था।

डी) मूल्यह्रास

संपत्तियों की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। फैंक्टी ऑफिस बिल्डिंग और प्रशासनिक भवन पर @ 3.17%, आवासीय और गैर-आवासीय भवनों पर @1.58% और फर्नीचर और फिटिंग पर @6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के जोड़/हटाने के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

पुनर्मूल्यांकन की तिथि से पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर भी मूल्यह्रास लगाया जाता है।

पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के साथ समायोजित किया जाता है।

ई) देयताएं

तुलन-पत्र की तिथि पर सभी ज्ञात और सुनिश्चित देयताएं, प्रकृति में अमूर्त को छोड़कर, प्रोद्भव आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

एफ) पूर्व अवधि मदें

पूर्व अवधि मदें आय या व्यय हैं जो एक या अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या कमीशन के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं और तदनुसार हिसाब में ली जाती हैं।

जी) तैयारी का आधार

संपत्तियों और देनदारियों को लेखांकन वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर प्राप्त/भुगतान की जाने की उम्मीद है जिसे चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एच) आकस्मिक देयता

कंपनी के पास विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों और तीसरे पक्षों के साथ मुकदमे चल रहे हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यदि कोई वर्तमान दायित्व है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता है और दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान प्रत्येक विवाद की विशिष्ट परिस्थितियों के प्रबंधन के आकलन और प्रासंगिक बाहरी सलाह के आधार पर लगाया जा सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है, तो प्रबंधन अपने सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार प्रावधान करता है। अन्य मामलों में राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है।

आई) अनुमानों का उपयोग

भारत GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सेकड़ों में 31 मार्च, 2024 को यथा स्थिति	रु. सेकड़ों में 31 मार्च, 2023 यथा स्थिति			
2 : शेयर पूंजी					
प्राधिकृत :					
रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/- प्रति शेयर के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	60,00,00,000.00	60,00,00,000.00			
निर्गत, अभिवत्त एवं चुकता :					
पूर्ण चुकता रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 4,865,881,125 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 4,865,881,125 के इक्विटी शेयर)	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50			
(क) इक्विटी शेयर					
वर्ष के प्रारंभ में शेष	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50			
जोड़ें : वर्ष के दौरान आवंटित	-	-			
वर्ष के अंत में शेष	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50			
(ख) वर्ष के अंत में प्रमोटर्स द्वारा रखे गये शेयरों में प्रमोटर्स के शेयरधारिता शेयरधारक का विवरण					
रु. 10/- प्रति पूर्ण चुकता के इक्विटी शेयर					
प्रमोटर्स के नाम	शेयर संख्या	शेयरधारिता %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %	शेयर संख्या	शेयरधारिता %
भारत के राष्ट्रपति	48,65,88,115	100.00%		4,865,881,125	100%
वर्ष के दौरान कंपनी के किसी निदेशक द्वारा कॉल का भुगतान बकाया नहीं है।					
3 आरक्षित एवं आधिक्य					
आरक्षित पूंजी	1,830.00			1,830.00	
(आ. प्र. एवं प. वं सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि के लिए जमा दर्शाये गये हैं)					
क	1,830.00			1,830.00	
सामान्य आरक्षित					
प्रारंभिक शेष	56,72,163.18			56,72,163.18	
जोड़ें : आरक्षित पूंजी से हस्तांतरित डिबेंचर विमोचन आरक्षण	-			-	
जोड़ें : आरक्षित पूंजी से हस्तांतरित बांड विमोचन आरक्षण	-			-	
अंतिम शेष	56,72,163.18			56,72,163.18	
पुनर्मुल्यांकन आरक्षित (नोट 37 संदर्भित करें)					
आधिक्य/(कमी)					
प्रारंभिक शेष	-50,03,63,960.51			50,19,37,794.70	
जोड़ें : वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	-4,47,278.84			15,73,834.18	
अंतिम शेष	-50,08,11,239.35			50,03,63,960.51	
घ					
शुद्ध शेष	क+ख+ग+घ	-46,70,95, 858.96		46,64,94,035.86	

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

		रु. सैकड़ों में								
		31 मार्च 2024 को यथा स्थिति	31 मार्च, 2023 को यथा स्थिति							
4	गेर-चालू देयताएं दीर्घावधी उधार :									
	असुरक्षित ऋण :									
	-प्राहकों से अग्रिम राशि	0.00								
		0.00								
	वर्तमान देयताएं									
5	व्यापार देय									
	(i) सुक्ष्म उद्यम तथा लघु उद्यम (एम एस एम ई) के कुल बकाया (दृष्टव्य 19)	22,748.98	22,748.98							
	(ii) एम एस एम ई के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,500.00	1,500.00							
		24,248.98	24,248.98							
		24,248.93	24,248.98							
व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची										
विवरण	2023-2024					2022-2023				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एम एस एम ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
(iii) विवादित बकाया- एम एस एम ई	-	-	-	22,748.98	22,748.98	-	-	-	22,748.98	22,748.98
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	अन्य वर्तमान देनदारियाँ									
	अन्य देय-									
	व्यय के लिए देयताएं				50,365.20				47,815.28	
	वैधानिक बकाया				1,08,558.19				37,938.10	
	कर्मचारी से संबंधित देय				76,811.89				76,811.89	
	प्रतिभूति जमा				72,630.28				72,630.28	
							3,08,365.56			2,35,195.55
							3,08,365.56			2,35,195.55
8	अल्पकालिक प्रावधान:									
	कर्मचारी लाभ के लिए				82,998.28					82,998.28
	अनुबंध श्रमिकों के वेतन के लिए				1,550.98					1,550.98
	जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए				118,840.61					
	आयकर के लिए				11,75,336.84					8,71,954.23
	हैदराबाद अचल संपत्तियों के लिए				3,23,137.18					3,23,137.18
							17,01,863.89			12,79,640.67
	वर्तमान संपत्तियां									
9	व्यापार प्राय						शून्य			शून्य
							शून्य			शून्य



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 - परिसंपत्ति प्वांट एवं उपकरण

मद	स्वामित्व भूमि	एग्रीव रोड	भूमि विकास	फेड्ट्री व ऑफिस भवन	आवासीय भवन	पेर-आवासीय भवन	रेलवे साइडिंग	फर्निचर्स फिटिंग, कार्यालय, उपकरण	कंप्यूटर्स	कुल
सकल ब्लॉक										
01.04.2023 तक शेष राशि	27961986.31	2375.95	230171.57	297752.87	1503938.48	318773.06	12589.07	208921.68	101714.02	30638223.01
लागत	15455.98	2375.95	230171.57	144731.41	1407558.80	318773.06	12589.07	208921.68	101714.02	2442291.54
पुनर्मूल्यांकन वृद्धि	27946530.33			153021.46	96379.68					2819593147
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-03-2024 तक शेष राशि	27961986.31	2375.95	230171.57	297752.87	1503938.48	318773.06	12589.07	209304.68	101714.02	30638606.01
संचयी मूल्यव्यास										
लागत पर										
31-03-2023 तक शेष राशि	0.00	2257.15	218662.94	130112.38	957294.98	282411.20	11959.59	197952.80	96628.30	1897279.34
मूल्यव्यास वर्ष के लिए	0.00	0.00	0.00	580.58	11763.16	0.00	0.00	81.23	0.00	12424.97
बिक्री पर निकासी				4568.00						4568.00
31.03.2024 को	0.00	2257.15	218662.94	135260.96	969058.14	282411.20	11959.59	198034.03	96628.30	1914272.31
पुनर्मूल्यांकन राशि पर										
01.04.2023 तक शेष राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए मूल्यव्यास-	0.00	0.00	0.00	1435.30	1522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.10
बिक्री पर निकासी				151586.16						151586.16
(सी)31-03-2024 तक	0.00	0.00	0.00	153021.46	1522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154544.26
(A+B)31-03-2024 तक	0.00	2257.15	218662.94	288282.42	970580.94	282411.20	11959.59	198034.03	96628.30	20668816.57
शुद्ध ब्लॉक										
31-03-2023 तक	27961986.31	118.80	11508.63	167640.48	546643.50	36361.86	629.48	10968.88	5085.72	28740943.66
31-03-2024 तक	27961986.31	118.80	11508.63	9470.45	533357.54	36361.86	629.48	11270.65	5085.72	28569789.44
शुद्ध ब्लॉक										
31-03-2024 तक	27961986.31	118.80	11508.63	9470.45	533357.54	36361.86	629.48	11270.65	5085.72	28569789.44
लागत	15455.98	118.80	11508.63	9470.45	438500.66	36361.86	629.48	11270.65	5085.72	528402.23
पुनर्मूल्यांकित राशि	27946530.33				94856.88					28041387.21

नोट्स:

- परिष्कारण पर इन वित्तीय विवरणों को तैयारी पर विचार करते हुए, इस नोट में द्वायर्ड गैर संश्लेषित प्रमाणीकरण से निवृत्त के लिए रखी गई है और प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित तथिक से उनका निवृत्त किया जाएगा।
- एस्टीमेट को वर्ष करने के लिए केंद्रीय परिमंडल की मंजूरी के बाद, कंपनी को तैयार करना सकार से 16.07.2018 और 25.07.2018 को दो अक्षर प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंपनी को हेरबार्ड फ्लिड भूमि को सकारी संरक्षण में बास लेने के साथ साथ वहां मौजूद संरचनाओं को भी बास लेने का आदेश दिया गया है। कंपनी ने तदनुसार 323137.18 (सेकड़ों में) का प्रबंधन किया है, जो 31 मार्च 2023 तक उक्त भूमि और उस पर स्थित अन्य परिसंपत्तियों का बही मूल्य है। कंपनी ने हेरबार्ड उच्च न्यायालय से पुनः प्राप्त आदेश पर स्थान प्राप्त कर लिया है। हेरबार्ड की परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यव्यास नहीं लगाया गया है, क्योंकि 31.03.2023 तक संरक्षण लिखित मूल्य का प्रबंधन किया गया है।
- कोलकाता में गोकुल लिंक अपार्टमेंट को 17.07.2023 को राष्ट्रीय भूमि मंडीकरण आयोग (एमएलएमसी) को जारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञान संख्या 9/01/(11)/2020-वर्ग-II (e-21334) दिनांक 15 फरवरी, 2023 के अनुसार रु.4568.00 (रु. सेकड़ों में) लिखित मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया गया है। इन परिसंपत्तियों का 31.03.2023 को पुनर्मूल्यांकन किया गया और इन परिसंपत्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट में गैर शेष राशि बास ले ले दी गई है।
- कोलकाता में गोकुल लिंक अपार्टमेंट को 17.07.2023 को राष्ट्रीय भूमि मंडीकरण आयोग (एमएलएमसी) को जारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञान संख्या 9/01/(11)/2020-वर्ग-II (e-21334) दिनांक 15 फरवरी, 2023 के अनुसार रु.4568.00 (रु. सेकड़ों में) लिखित मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया गया है। इन परिसंपत्तियों का 31.03.2023 को पुनर्मूल्यांकन किया गया और इन परिसंपत्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट में गैर शेष राशि बास ले ले दी गई है।
- स्मारकालापर में भूमि और आवासीय भवनों का 31.03.2023 को रु. 2,79,30,923.66 (रु. सेकड़ों में) और रु. 2,73,870.00 (रु. सेकड़ों में) प्रमार्क संश्लेषित मूल्यांकन द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया। प्रबंधन की राय में, पुनर्मूल्यांकित राशि निवृत्त पर परिसंपत्तियों के अनुमानित बदली योग्य मूल्य की दर्याती है, तदनुसार इन परिसंपत्तियों को इसी पुनर्मूल्यांकित राशि पर रखा गया है और पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर मूल्यव्यास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के साथ समायाजित किया गया है।
- स्मारकालापर में फर्नीचर की खरीद 20-03-2024 को हुई रु.383.00 (रु. सेकड़ों में)

क. मोहन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सेकड़ों में		रु. सेकड़ों में	
	31 मार्च 2024 को यथास्थिति		31 मार्च 2023 को यथास्थिति	
10	नकद एवं नकद समतुल्य			
हाथ में नकद			-	-
अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा में:				
बैंक ऑफ बड़ौदा	16,09,000.00		37,20,202.69	
इंडियन बैंक	3,08,265.57		2,74,152.10	
		19,17,265.57	-	39,94,354.79
अनुसूचित बैंकों के साथ चालू खातों में:				
बैंक ऑफ बड़ौदा	20,80,834.94		3,04,233.06	
इंडियन बैंक	802.57		802.57	
		20,81,637.51		3,05,035.64
नोट:				
1. बीओबी के साथ 99,000 सो रुपये की सावधि जमा राशि 50,000 सो रुपये की बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन है (नोट 25)		39,98,903.08		42,99,390.43
11	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम राशि			
अग्रिम वसूली योग्य नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए				
शुद्ध माना गया	383.78		383.78	
संदिग्ध माना गया	4,557.29		4,557.29	
	4,941.07		4,941.07	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	4,560.77		4,560.77	
	380.30	380.30		380.30
अन्य प्राप्य राशि		1,463.44		1,463.44
आयकर और टीडीएस का अग्रिम भुगतान	52,713.35		62,884.64	
अग्रिम पूंजीगत लाभ कर	11,75,336.84	12,28,050.19	11,79,399.08	12,42,283.72
12ए	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
सुरक्षा जमा		1,480.00		
मुकदमेबाजी के मामलों के लिए न्यायालय में जमा		10,67,590.00		6,65,610.00
राजस्व प्राधिकरण के पास शेष राशि (जीएसटी इनपुट क्रेडिट)		1,18,840.61		1,22,193.32
उपार्जित व्याज		2,321.16		22,983.22
		11,90,231.77		8,10,786.54
12बी	अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
12 महीने की परिपक्वता से अधिक बैंक जमा		19,30,000.00		19,30,000.00
		19,30,000.00		19,30,000.00
		19,30,000.00		19,30,000.00



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सैकड़ों में		रु. सैकड़ों में	
	31 मार्च 2024 को यथास्थिति		31 मार्च 2022 को यथास्थिति	
13 अन्य आय				
अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज		3,87,699.84		3,24,600.52
आइटी रिफंड पर ब्याज -वित्त वर्ष 2013-14	4,312.35			1,560.45
-वित्त वर्ष 2023-24	1,570.64	5,882.99		1,560.45
विविध आय				
		<u>3,93,582.83</u>		<u>3,26,160.97</u>
14 कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं हितलाभ				
वेतन एवं मजदूरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15				
क अन्य व्यय :				
विद्युत एवं इंधन				
विजली प्रभार		1,611.24		2,815.27
मरम्मतों :				
अन्य		2,799.38	2,496.12	2,496.12
दर एवं कर		236.90		1,096.14
रिटिनेरशिप शुल्क (सलाहकार)		44,429.37		41,435.50
परामर्श कार्य का शुल्क		1,215.00		22,480.00
यात्रा एवं भाड़ा		11,976.18		8,652.83
डाक, टेलीग्राम एवं टेलीफोन		1,287.03		1,439.49
अन्य पर व्यय		1,601.96		-
बैंक प्रभार		655.09		452.24
लेखा-परीक्षा शुल्क				
वैधानिक लेखा-परीक्षा	1,250.00		1,250.00	
कर लेखा-परीक्षा	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00
प्रबंधन सेवा		4,792.00		3,950.00
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		1,159.50		1,116.78
कानूनी व्यय		66,214.06		45,722.04
सुरक्षा व्यय		85,516.47		71,388.26
पेशा शुल्क-अन्य		9,053.30		7,451.20
पेशेवर शुल्क - POHW अनुपालन		9,800.00		
विविध व्यय		145.19		407.65
अन्य व्यय		3,711.51		1,907.28
भूमि राजस्व		35,237.00		
किराया		11,008.79		
GST व्यय		5,787.17		
		<u>2,99,737.14</u>		<u>2,14,310.80</u>

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सैकड़ों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	रु. सैकड़ों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
ख		
प्रावधान		
संदिग्ध संपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान - जीएसटी इनपुट क्रेडिट	1,18,840.61	3,23,137.17
	<u>1,18,840.61</u>	<u>3,23,137.17</u>
ग		
पूर्व अवधि समायोजन :		
अन्य व्यव (नोट 36 देखें)	1,03,123.63	1,95,862.59
	<u>1,03,123.63</u>	<u>1,95,862.59</u>
कुल (ए+बी+सी)	<u>5,21,701.38</u>	<u>7,33,310.56</u>
16		
असाधारण मदे (नोट 24 देखें)		
वापस लिखी गई देवता		36,796.85
बड़े खाते में डाली गई संपत्तियां (जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट)	-3,352.71	-3,095.06
स्थिर संपत्तियों को बिक्री पर लाभ (नोट 24 और 28 देखें)	शून्य	19,80,873.17
	<u>3,352.71</u>	<u>20,14,574.96</u>



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 17

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
	रु. सेकड़ों में	रु. सेकड़ों में
क. आकास्मिक देनदारियों के लिए प्रदान नहीं किया गया :		
i) मध्यस्थता के तहत मामले - लेनदार	90,000.00	87,000.00
अन्य न्यायालय मामले		
ii) गोयल गैस - लेनदार	22,15,000.00	21,11,000.00
iii) एवीपोलीमर - लेनदार	7,43,000.00	6,30,000.00
iv) जॉय मां सौतोषी सॉ मिल - लेनदार	3,10,000.00	1,77,160.00
v) विद्यावती कंस्ट्रक्शन - लेनदार	1,03,000.00	98,300.00
vi) डीएआरसीएल - लेनदार	0.00	92,460.00
vii) जे पी महाता - लेनदार	48,000.00	61,000.00
viii) कृष्णा ट्रेडर्स - लेनदार	2,000.00	2,200.00
ix) अन्य विविध वाणिज्यिक मामले- लेनदार	2,78,000.00	2,46,000.00
x) आयकर मांग वर्ष 2014-15 - वैधानिक	12,000.00	12,000.00
xi) आयकर मांग वर्ष 2018-19 - वैधानिक	1,61,49,000.00	1,61,49,000.00
xii) आयकर मांग वर्ष 2021-22 - वैधानिक	99,33,000.00	99,33,000.00
xiii) उत्पाद शुल्क और उस पर ब्याज की अनुमानित राशि, जिसका प्रावधान नहीं है - वैधानिक	352,000.00	3,52,000.00
xiv) कर का शुल्क ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14बी के तहत क्षतिपूर्ति और धारा 70 के तहत ब्याज - सांविधिक	13,500.00	96,000.00
xv) ठेकेदार का श्रमिक - श्रमिक	31,000.00	31,000.00
xvi) वीआरएस की पुनर्गणना - सेवा	1,00,000.00	1,00,000.00
xvii) बंद होने से पहले सेवानिवृत्त हुए पूर्व कर्मचारियों द्वारा वीआरएस का दावा - सेवा	1,12,000.00	1,12,000.00
xviii) बाहरी लोगों ने एचसीएल से वेतन की मांग की, लेकिन उन्हें एचसीएल द्वारा कभी भी काम पर नही रखा गया और न ही समाप्त किया गया - श्रमिक	1000	0
xix) अनुशासनात्मक कार्यवाही और उच्च वेतन की मांग के कारण सेवा समाप्त - सेवा	60,000.00	60,000.00
xx) पूर्व कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत छुट्टी के लिए वेतन का दावा और परामर्श पर दावा - सेवा	32,000.00	32,000.00
xxi) आकास्मिक कर्मचारी समाप्त लेकिन रोजगार के लिए मामला लंबित - सेवा	9,69,000.00	9,69,000.00
xxii) उप श्रम आवृत्त/एएलसी - श्रमिक	15,000.00	15,000.00
xxiii) श्रम न्यायालय - श्रमिक	18,000.00	18,000.00
xxiv) सी.जी., औद्योगिक न्यायाधिकरण - श्रमिक	90,000.00	2,45,000.00
xxv) औद्योगिक न्यायाधिकरण - श्रमिक	3,000.00	3,000.00
xxvi) सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित वेतन संग्रोहन के विरुद्ध बकाया - सेवा	41,18,000.00	41,72,000.00
xxvii) सहायक श्रम आवृत्त द्वारा आकास्मिक श्रमिकों को प्रदान की गई शेष प्रेच्युटी	2,55,000.00	2,55,000.00
xxviii) सहायक श्रम आवृत्त द्वारा वी.आर. कर्मचारियों को प्रदान की गई शेष प्रेच्युटी - सेवा	26,000.00	26,000.00
xxix) 58-60 के लिए वेतन और मजदूरी का दावा जिसमें पीएफ शामिल है लेकिन पीएफ पर ब्याज को छोड़कर लंबित है न्यायाधिकरण - सेवा	50,08,000.00	50,33,200.00
xxx) विविध सेवा मामला - सेवा	6000	7000
xxx1) नगर निगम कर, हैदराबाद भूमि - वैधानिक	4,08,578.00	
xxxii) एचसीएल के उद्देश्य से टीएसआईसी द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए बड़े हुए मुआवजे की मांग	40,000.00	40,000.00
xxxiii) विविध मामले - - सेवा	20,000.00	20,000.00
कुल	4,15,61,078.00	4,11,85,320.00

ख) प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के अनुसार किसी भी मामले में इस समय नकदी बहिर्वाह की परिकल्पना नहीं की गई है। किसी भी प्रतिपूर्ति की कोई संभावना नहीं है।

टिप्पणी 18 जैसा कि कंपनी की निर्माण गतिविधियां 2005 से बंद हैं, कंपनी तब से कोई प्रक्योरमेंट नहीं बना रही है, जिसमें एम एस एम ई से सम्मिलित है। पूर्व अवधि वर्ष 2003 के संबंध में एम एस एम ई के रु. 22,748.98 (रु. सेकड़ों में) (पूर्व वर्ष रु. 22,748.98 (रु. सेकड़ों में) का पूरा न बकाया शेष राशि है जो या तो समय बाधित है या तो समय या मुकदमा के अधीन किया गया है। अतः मूलधन पर ब्याज का एम एस एम ई अधिनियम के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है।

टिप्पणी 19 नोट 19 ईपीएफओ, दुर्गापुर द्वारा ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7ए (1896994 सी) और 148 (2250711 सी रुपये) के तहत दो मूल्यांकन आदेश और धारा 7क्यू के तहत 31.03.2018 तक ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा वैधानिक देयता के रूप में किया गया है। हालांकि, उपरोक्त दो आदेशों के खिलाफ कंपनी द्वारा ईपीएफएटी, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की गई थी और ये अब सीजीआईटी आसनसोल के समक्ष लंबित हैं।

टिप्पणी 20 ईपीएफओ, इलाहाबाद द्वारा ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7क्यू के तहत ब्याज का मूल्यांकन किया गया जिसे कंपनी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और कर निर्धारण आदेश पर स्थगन प्राप्त है। राशि को आकास्मिक दायित्व में सम्मिलित किया गया है

टिप्पणी 21 नोट 21 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यांकन को परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया गया है। कोलकाता और स्थानांतरण पर पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर मूल्यांकन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के साथ समायोजित किया गया है, हैदराबाद के पीपीई पर कोई मूल्यांकन नहीं लगाया गया है क्योंकि हैदराबाद में पीपीई का पूरा मूल्य 2022-23 में प्रदान किया गया है (नोट 6)।

टिप्पणी 22 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस की पेशकश करके और सभी परिसंपत्तियों के निपटान द्वारा एचसीएल को बंद करने को मंजूरी दी। डीएचआई ने 6 अक्टूबर, 2016 को पत्र संख्या 1(13)/2003-पीई-एच (वॉल्यूम एक्स) के माध्यम से इसकी जानकारी दी। डीएचआई के तहत सीपीएसई को बंद करने के लिए अनुमति रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए सभी कर्मचारियों को राहत देकर बंद किया जाना था। तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के बाद 31.01.2017 को सभी कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के अनुरूप संयंत्र और मशीनरी का निपटान किया गया। उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(0) के तहत एचसीएल को बंद करने के लिए 31.05.2017 को अनुमति दे दी है। बंद करने के लिए डीएचआई द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के साथ इक्विटी के रूप में निधि डाली गई थी, जिसका विवरण नोट संख्या 23 में दिया गया है। वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और एचसीएल निर्देशानुसार परिसमापन/ समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रहा है। एचसीएल अब बंद हो चुका है और बिना किसी संवेद, मशीनरी या कर्मचारी के गैर-संचालन चरण में है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : वर्ष 2003 से कंपनी ने वेतन, मजदूरी और अन्य वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए भारत सरकार से समय-समय पर विभिन्न ऋण लिए हैं। 31.03.2016 तक ऐसे ऋणों का कुल योग 13,11,88,480 रुपये (सैकड़ों में) मूलधन और 18,16,60,970 रुपये (सैकड़ों में) ब्याज है, जो कुल मिलाकर 31,28,49,450 रुपये (सैकड़ों में) है। 01.04.2016 से 30.09.2016 तक की अवधि के दौरान 5,63,48,040/- (सैकड़ों में रुपये) का अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया गया है। डीएचआई ने अपने पत्र संख्या 1(13)/2003-पीई41(vol-x) दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से भारत सरकार के मौजूदा ऋण 34,67,15,000/- (सैकड़ों में रुपये) (अनुमानित) (मूलधन 131188,000/- (सैकड़ों में रुपये) और 30.09.2016 तक 21,55,27,000/- (सैकड़ों में रुपये) का ब्याज (इसके बाद ब्याज पर रोक) को 'इक्विटी में रूपांतरण' के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत कराया है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को बंद करने के लिए 28.09.2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी को गैर-योजना इक्विटी के रूप में 2,58,50,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये) और 1,41,50,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये) कुल मिलाकर 4,00,00,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये) की नकदी प्राप्त हुई है। उक्त राशि का उपयोग सुरक्षित उधारदाताओं को बकाया राशि के ओटीएस और लंबित वेतन, मजदूरी और वैधानिक बकाया के हिस्से के भुगतान के लिए किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी को गैर-योजना इक्विटी के रूप में 1,64,13,000/- रुपये (सैकड़ों में रुपये) और 4,69,32,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये), 21,48,000/- (रु. सैकड़ों में) और बी.एस. 8,65,000 (रु. सैकड़ों में), इन राशियों का उपयोग शेष वेतन, मजदूरी और वैधानिक बकाया के भुगतान, वीआरएस मुआवजे के भुगतान जिसमें ग्रेच्युटी और टर्मिनल लीव इनकैशमेंट शामिल है, आकस्मिक श्रमिकों को भुगतान और ओ. मूनीस्वामी रेड्डी और अन्य के मामलों में न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भुगतान के लिए किया गया। नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें मंजूरी आदेश संख्या, तारीख, आदि और आवंटन लंबित शेषर आवेदन राशि का समाधान शामिल है जिसकी राशि रु. 1,53,92,080 (रु. सैकड़ों में) है:

विवरण	राशि रु. में सैकड़ों				
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			
भारत सरकार का मूल ऋण दराशि 1 अप्रैल 2016 तक	13,11,88,480.00	13,11,88,480.00			
ऋण पर ब्याज 1 अप्रैल 2016 तक उपार्जित और बकाया	18,16,60,970.00	18,16,60,970.00			
ऋण पर ब्याज 2016-2017 के लिए उपार्जित और बकाया	5,22,59,430.00	5,22,59,430.00			
ऋण पर ब्याज उपार्जित लेकिन 30.09.2016 तक बकाया नहीं	40,88,610.00	40,88,610.00			
कुल	36,91,97,490.00	36,91,97,490.00			
2016-2017 के दौरान प्राप्त ऋण/इक्विटी राशि					
क्र. सं.	भारत सरकार का आदेश	ऑर्डर दिनांक	प्रकृति	राशि रुपये में सैकड़ों	
1	सं.1 (16)/2015-पीईII(I)	30.09.2016	गैर-योजना इक्विटी	2,58,50,000.00	2,58,50,000.00
2	सं.1 (16)/2016-पीई II (ii)	30.09.2016	गैर-योजना इक्विटी	1,41,50,000.00	1,41,50,000.00
3	सं.1 (3)/2013-पीई II (i)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	1,64,13,000.00	1,64,13,000.00
4	सं.1 (3)/2013-पीई II (v)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	4,69,32,000.00	4,69,32,000.00
5	सं.1 (3)/2013-पीई II(ii)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	21,48,000.00	21,48,000.00
6	सं.1 (3)/2013-पीई II(iii)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	866,000.00	8,66,000.00
कुल				10,63,59,000.00	10,63,59,000.00
घटाएँ : वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत सरकार को हस्तांतरित राशि				1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
घटाएँ : पूर्व वर्ष में आरक्षित अतिरिक्त ब्याज का व्युत्क्रम				5,11,410.00	5,11,410.00
घटाएँ : कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड से एचसीएल के शेयरों की खरीद के लिए भारत सरकार की ओर से भुगतान की गई राशि				1,000.00	1,000.00
घटाएँ : भारत सरकार को आवंटित शेषर (10 रुपये प्रति शेयर के 4,44,65,20,000 शेयर को छोड़कर)				44,46,52,000.00	44,46,52,000.00
आवंटन लंबित शेषर आवेदन राशि				1,53,92,080.00	1,53,92,080.00

समापन प्रस्ताव डीएचआई, भारत सरकार द्वारा जुलाई/अगस्त 2016 के महीनों में तैयार किया गया था जिसे 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, प्रस्ताव अनुमानित ब्याज पर आधारित था 21,55,27,000 रुपये. हालांकि 30.09.2016 को वास्तविक ब्याज पिछले वर्षों में दर्ज 511000 से रुपये के अतिरिक्त ब्याज को वापस लेने के बाद 23,74,98,000 से रुपये था



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 असाधारण मर्दें

शीर्ष	राशि(2023-24) रु. सैकड़ों में	राशि(2022-23) रु. सैकड़ों में
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	शून्य	19,80,873.17
घटाएँ: बढ़े खाते में डाली गई संपत्तियाँ	3352.71	-3,095.06
जोड़े: वापस लिखी गई देनदारियाँ-	शून्य	36,796.85
कुल	3352.71	20,14,574.96

नोट 25 : माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश 1ए संख्या :जीए/1/2020 दिनांक 15 नवंबर, 2021 के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा, जाधपुर पार्क शाखा द्वारा 14.12.2021 को जारी की गई बैंक गारंटी रु. 50,000/- (रु. सैकड़ें में) पूर्व वर्ष, 50,000(रु. सैकड़ें में) बैंक ऑफ बड़ौदा, जोधपुर पार्क में रखी गई सावधि जमा के विरुद्ध, जिसे मेसर्स जॉय मां संतोषी सॉ मिल के खिलाफ लंबित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्टर में प्रस्तुत किया गया है, इसे 14.11.2023 को 14.11.2024 तक नवीनीकृत किया गया था।

नोट 26: अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 12ए) में 6,67,560/- रु. (सैकड़ें में) (छह करोड़, सड़सठ लाख, छप्पन हजार रुपये मात्र) की राशि शामिल है। पिछले वर्ष 2,17,580(रु., सैकड़ें में) (रु. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केस संख्या OMP(ENF)(COMM))263 वर्ष 2018 (मेसर्स गोयल एमजी गैस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एचसीएल) में पारित दिनांक 21.11.2022 के आदेशों के अनुसार और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, संख्या 65/2022 की धारा 37 के अंतर्गत अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 और 28.07.2023 के आदेशों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्टर में दो करोड़ सत्रह लाख, अठ्ठावन हजार मात्र) जमा किए गए। दावा राशि 2215000/- (सैकड़ों में) है। मुकदमेबाजी के तहत, आकस्मिक देयता (नोट 17 (ii)) के तहत खुलासा किया गया है।

नोट 27: अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट: 12 ए) में रु. 40,0030/- (रु., सैकड़ें में) (रु. चार करोड़ तीन हजार मात्र) की राशि शामिल है, जो गुजरात के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गांधीनगर, गुजरात द्वारा केस संख्या सीएमए 76/2022 (एचसीएल-बनाम-मेसर्स एवीआई पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड) में पारित दिनांक 12.01.2023 के आदेश के अनुसार जमा की गई है। मुकदमेबाजी के तहत, आकस्मिक देयता (नोट 17 (iii)) के तहत दावा राशि रु. 743000/- सैकड़ें में) का खुलासा किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 डीपीई, भारत सरकार के पत्र संख्या, डीपीई/11(09)2022-डीडी दिनांक 23.08.2022 तथा डीएचआई, भारत सरकार के पत्र संख्या 9-01(01)/2020-पीई-II (e21334) दिनांक 15.02.2023 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, कंपनी ने गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, कोलकाता में चार फ्लैटों को बुक वैल्यू (पुनर्मूल्यांकन से पहले) पर नीचे दिए अनुसार हस्तांतरित किया है:-

क्र.	फ्लैट संख्या	राशि (₹. सैकड़ों में)
1	ई-1	1142
2	ई-2	1142
3	जे-0	1142
4	एल-2	1142

नोट 29 एएस-18 'संबंधित पक्ष लेनदेन' के अनुसार सूचना। वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

नोट 30 चूंकि कंपनी की विनिर्माण गतिविधि लंबे समय से बंद है, इसलिए भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है, इसलिए कोई खंड परिणाम तैयार नहीं किया गया है।

प्रति शेयर आय की गणना:	2023-2024	2022-2023
लाभ और हानि खाते के अनुसार (सैकड़ों में) लाभ/(हानि)	-4,47,278.84	15,73,834.18
शेयरों की भारत औसत संख्या	4,86,58,81,125	4,86,58,81,125
प्रति शेयर आय	-0.01	0.03

नोट 32 अनुपात विवरण	31 मार्च को 2024	31 मार्च को 2023	विचरण
वर्तमान अनुपात	3.16	5.38	2.22
ऋण इक्विटी अनुपात	0.00	0	0.00:
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	-0.064	-0.08	0.02
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	-0.36	-1.35	0.99
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	-0.020	-0.01	-0.01
निवेश पर प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1. असाधारण मदों से पहले शुद्ध लाभ पर विचार किया गया है

नोट 33 कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन के परिसमापन आधार को अपनाया है और तदनुसार अपनी कुछ परिसंपत्तियों को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर वसूली योग्य मूल्य पर दर्शाया है, जिसमें पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अनुरूप क्रेडिट है

नोट 34 कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ: चूंकि कंपनी के पेरॉल पर कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए राशि शून्य के रूप में दिखाई गई है।

नोट 35 वर्ष के दौरान, कंपनी को निम्नानुसार निम्नलिखित दो मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर रिफंड प्राप्त हुए हैं:

वित्त वर्ष 2013-14	18002.60(₹. सैकड़ों में)
वित्त वर्ष 2023-24	40837.20(₹. सैकड़ों में)

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

नोट 36 लाभ और हानि खाते में नोट संख्या 15सी में पूर्व अवधि समायोजन निम्नलिखित मदों का गठन करता है।

विवरण

राशि (सैकड़ों रुपये में)

	2023-24	2022-23
संपत्ति कर पर ब्याज (पूर्व अवधि)	23.67	
सीजे डीएआरसीएल पर ब्याज (पूर्व अवधि)	24,249.31	
भूमि राजस्व (पूर्व अवधि)	35,237.00	
संपत्ति कर पर जुर्माना (पूर्व अवधि)	17:59	
संपत्ति कर पूर्व अवधि व्यय	1,133.01	
परिवहन शुल्क सीजे डीएआरसीएल (पूर्व अवधि)	42,463.05	
पुराना पी.एफ. निपटारा गया मामला		1,95,862.59
	1,03,123.63	1,95,862.59

नोट 37

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:

- वर्ष की शुरुआत में शेष राशि
- वर्ष के दौरान बनाया गया पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि
- पुनर्मूल्यांकन वृद्धि पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध समायोजित
- निपटार गई परिसंपत्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि
- वर्ष के अंत में शेष राशि

	2023-24	2022-23
		राशि (सैकड़ों रुपये में)
	2,81,95,931.47	
		2,81,95,931.47
	2958.1	
	151,586.16	
	2,80,41,387.21	2,81,95,931.47

नोट 38

(ए) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ: मुकदमेबाजी के मामलों के लिए न्यायालय में जमा: इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ऋणदाता (एवी पॉलीमर) के लिए न्यायालय में जमा
गोयल गैस के लिए न्यायालय में जमा
ऋणदाता (डार्कल) के लिए न्यायालय में जमा

2023-24 2022-23
राशि (सैकड़ों रुपये में)

	2023-24	2022-23
	4,00,030.00	4,00,030.00
	6,67,560.00	2,17,580.00
	-	48,000.00
	10,67,590.00	6,65,610.00

(बी) नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम: सीबीए एंड एसोसिएट्स को अग्रिम किराया प्राप्ति

	2023-24	2022-23
	7.80	7.80
	375.98	375.98
	383.78	383.78

नोट 39

(ए) प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ' शामिल हैं) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी के 'अंतिम लाभार्थियों' द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(बी) प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाले पक्ष) शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाले पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

- नोट 40 पुस्तकों में बकाया जीएसटी इनपुट क्रेडिट 118840.61 रुपये (सैकड़ों में रुपये) है तथा जीएसटी पोर्टल में इनपुट क्रेडिट दावे के साथ मिलान का प्रावधान किया गया है, क्योंकि कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, इस क्रेडिट का समायोजन संभव नहीं है, जीएसटी पोर्टल में शेष राशि से अधिक पुस्तकों में 3352.71 रुपये (सैकड़ों में रुपये) की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। (नोट 16 देखें)
- नोट 41 चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित एमएटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी एक बीमार कंपनी है, जो 2002 में बीआईएफआर के साथ पंजीकृत हुई थी, जिसका पंजीकरण संख्या 505 के अनुसार हुआ था तथा वर्ष के अंत तक इसका नेटवर्थ नकारात्मक बना हुआ है।
- नोट 42 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्समूहित किया गया है।

उस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते गुहा, नंदी एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

एफआरएनं. : 302039ई

(श्यामसुंदर राय)

साझेदार

(सदस्यता सं. -053569)

यू डी आई एन सं. : 24053569BKMGDF9099

स्थान:कोलकाता

दिनांक : 19.08.2024

के. मोहन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी आई एन-08385809

अमल कुमार बोस

सलाहकार



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

(भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अधीन)

वेबसाइट : www.hindcables.net

नैगम और पंजीकृत कार्यालय

167/ए, अजय नगर (5वीं रोड), कोलकाता-700075

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

रूपनारायणपुर इकाई

पोस्ट : हिन्दुस्तान केबल्स

रूपनारायणपुर-713 335

जिला : पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल

ई-मेल : ojharavi7@gmail.com

रूपनायारणपुर की अभिलेख कार्यालय

पहली मंजिल, माया इनक्लेव, एस बी गोराई रोड (मिडल), विद्यासागर मैदान के निकट,

आसनसोल-713301

हैदराबाद इकाई

पोस्ट हिन्दुस्तान केबल्स

हैदराबाद -500 051, तेलंगाना

ई-मेल : hindustan_cables@yahoo.com

इलाहाबाद इकाई

फ्लैट नं. एफ एफ-2, 25, जे एवं के सुखरावती तलवार अपार्टमेंट, टैगोर टाउन

प्रयागराज, उ. प्र. -211002

ई-मेल : 016paras@gmail.com